[2020] 10 एस. सी. आर. 1075

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & एएनआर

वी.

प्रसाद वासुदेव केनी, ई. टी. सी. ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं। 546-550 2017 का)

02 सितंबर, 2020

[आर. एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 340 दंड संहिता,

1860 एसएस। 191 और 192-प्रत्यर्थी/अभियुक्त-स्वामित्व संस्था ने अपीलार्थियों के साथ एक व्यावसायिक संबंध साझा किया था-विवाद

पक्षकारों के बीच उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थियों द्वारा विभिन्न मुकदमे दायर किए गए-प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए उक्त मुकदमों में अपने लिखित बयान और जवाबी दावे दायर किए-अपीलार्थियों ने आपराधिक शिकायतें दायर कीं और तर्क दिया कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने गलत सबूत दिए थे और जाली डेबिट नोट बनाए थे और लेखा पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां की थीं-मजिस्ट्रेट ने उक्त शिकायतों को निजी शिकायतों में बदल दिया और यू/एस. एस. प्रक्रिया जारी की। 191 , 192 और 193 आई. पी. सी.-प्रत्यर्थी ने उक्त आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किए, जिसमें कहा गया था कि बार में निहित है

एस में। 195 (1) (ख) Cr.PC का (i) और प्रक्रिया यू / s.340 Cr.PC के अनिवार्य होने को दरकिनार नहीं किया जा सका-एक जवाबी-शपथ पत्र में

पुनरीक्षण आवेदन में, अपीलकर्ताओं ने पहली बार यह याचिका दायर की कि यू/एस. एस. के तहत अपराध। 463 , 464 , 465 , 467 , 468 , 469 , 471 , 474 , 475 और आई. पी. सी. के 477-ए को भी इसके खिलाफ बनाया गया था

प्रत्यर्थियों, जिसके परिणामस्वरूप एक निजी शिकायत बनाए रखने योग्य होगी-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने संशोधन की अनुमति दी और शिकायतों को रद्द कर दिया-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः इकबाल सिंह मारवाह मामला इस प्रस्ताव के लिए स्पष्ट अधिकार है कि मामलों में

घटित होता है-इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णय भी इसे तब रखें जब एस। 195 (1) (ख) Cr.PC का (i) आकर्षित है, इकबाल सिंह मारवाह मामले का अनुपात आकर्षित नहीं है और इसलिए, यदि

एस. एस. को आकर्षित करते हुए न्यायालय परिसर के बाहर झूठा सबूत बनाया जाता है। 191 / 192 आई. पी. सी. के अनुसार, उपरोक्त अनुपात लागू नहीं होगा ताकि इन धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए दायर एक निजी शिकायत को मान्य किया जा सके।

- तत्काल मामले में दायर शिकायतों का अवलोकन, नहीं छोड़ता है

संदेह का तरीका कि पहली शिकायत एस के प्रावधानों को आकर्षित करती है। 191 आई. पी. सी. और दूसरी शिकायत एस के प्रावधानों को आकर्षित करती है। 192 आई. पी. सी. का-जिन डेबिट नोटों को उत्तरदाताओं द्वारा बनाया गया कहा जाता है, यह स्पष्ट है कि डेबिट नोट 'झूठे दस्तावेज' नहीं थे s.464 आई. पी. सी., क्योंकि उन्हें इस इरादे से नहीं बनाया गया था कि यह माना जाए कि वे या द्वारा बनाए गए थे

किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार के तहत-चूंकि जालसाजी का यह मूल घटक स्वयं नहीं बनाया गया है, इसलिए आई. पी. सी. के अध्याय XVIII में जिन धाराओं पर भरोसा करने की मांग की गई है, उनमें से किसी को भी वर्तमान मामले के तथ्यों में भी प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं कहा जा सकता है-तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि दोनों शिकायतों को सही ढंग से लागू किया गया है। 195 आर/डब्ल्यू। Cr.PC का s.340 और फिर इसे निजी शिकायतों में परिवर्तित करने की मांग की गई, जिससे एक गोल भूमिका में एक चौकोर खूंटी को ठीक करने का प्रयास किया गया-इसे सत्र न्यायालय द्वारा संशोधन में और अपील के तहत उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से बाधित किया गया है-जबकि यह कहना सही है कि इसके बाद रूपांतरण और प्रक्रिया जारी करने का आदेश

एक निजी शिकायत पर सही नहीं हो सकता है, फिर भी मूल रूप से दायर की गई दो शिकायतों को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है-इसलिए, दोनों

शिकायतों को उनके मूल रूप में बहाल किया गया ताकि उन्हें एस के अभ्यास के बाद आगे बढ़ाया जा सके। 195 और एस। 340 Cr.PC का।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) और धारा 195 (1) (बी) (आई) में उल्लिखित अपराधों के बीच। जहाँ में उल्लिखित तथ्य

एक शिकायत धारा 191 से 193 के प्रावधानों को आकर्षित करती है

आई. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) लागू होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार आई. पी. सी. की इन धाराओं को आकर्षित करने के बाद, अपराध

आरोप लगाया जाना चाहिए कि वह किया गया है, या इसके संबंध में, किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही। इस प्रकार जो स्पष्ट है वह यह है कि अपराध

इन धाराओं के तहत दंडनीय केवल किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह एक अपराध भी हो सकता है।

में किसी भी कार्यवाही के संबंध में किए जाने का आरोप कोई भी न्यायालय। [पैरा 19] [1100-सी-ई]

2. धारा 195 (1) (बी) (आई), धारा 195 (1) (बी) (आई) के विपरीत

सी. आर. पी. सी. धारा 463 में वर्णित अपराधों की बात करता है, और आई. पी. सी. की धारा 471,475 या 476 के तहत दंडनीय, जब ऐसे अपराधों को किसी के संबंध में किए जाने का आरोप लगाया जाता है।

किसी भी मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में दिया गया दस्तावेज़।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी

अदालत। धारा 195 (1) (बी) (ii) में इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह "या उसके संबंध में" शब्द हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि -

धारा 195 (1) (बी) (ii) के प्रावधानों को आकर्षित किया जाता है, तो कथित अपराध को किए जाने के संबंध में किया जाना चाहिए

एक दस्तावेज जो कानूनी रूप से वैध है, और एक अपराध नहीं है जो हो सकता है

अदालती कार्यवाही में दस्तावेज़ पेश किए जाने से पहले हुए हैं। वास्तव में, यह वह अंतर है जो महत्वपूर्ण है अपीलार्थी के मामले के शीट एंकर को समझना, अर्थात् इकबाल सिंह मारवाह में इस न्यायालय के फैसले को समझना। [पैरा 22] [1102-बी डी]

3. इकबाल सिंह मारवाह के लिए स्पष्ट अधिकार है

प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत आते हैं, जिस दस्तावेज़ को जाली कहा जाता है, उसे होना चाहिए कस्टोडिया लेजिस हो जिसके बाद जालसाजी होती है। [पैरा 29] [1106-जी]

4. उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है

कि जब Cr.PC की धारा 195 (1) (b) (i) को आकर्षित किया जाता है, तो इकबाल सिंह मारवाह का अनुपात, जिसने सचीदा नंद सिंह को मंजूरी दी और

आई. पी. सी. की धारा 191/192 को आकर्षित करने वाले परिसरों में, उपरोक्त अनुपात लागू नहीं होगा ताकि दायर की गई निजी शिकायत को मान्य किया जा सके। इन धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए। [पैरा 33] [1110-एच; 1111-ए]

5. शिकायतों का अवलोकन इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि पहली शिकायत धारा 191 के प्रावधानों को आकर्षित करती है। आई. पी. सी. और दूसरी शिकायत के प्रावधानों को आकर्षित करता है

आईपीसी की धारा 192। हालांकि, द्वारा दायर संशोधन आवेदन के प्रति जवाबी हलफनामे में पहली बार सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थियों, अपीलकर्ताओं ने याचिका ली कि यू/एस. एस. के तहत अपराध। 463 , 464 , 465 , 467 , 468 , 469 , 471 , 474 , 475 और आई. पी. सी. के 477-ए को भी इसके खिलाफ बनाया गया था

उत्तरदाताओं। [पैरा 42] [1117-जी-एच; 1118-ए-बी]

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को महसूस करते हुए, अपीलकर्ताओं ने अचानक रास्ता बदल दिया, और मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया कि सीआरपीसी की धारा 340 के साथ पठित धारा 195 के तहत एक उचित रूप से तैयार किए गए आवेदन को एक निजी शिकायत में परिवर्तित किया जाए। दोनों [2020] 10 एस. सी. आर. का एक पठन।

शिकायतों में कोई संदेह नहीं है कि उन्हें केवल आई. पी. सी. की धारा 191 और 192 के तत्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है

ध्यान में रखते हुए-अब अपीलार्थियों का एकमात्र तर्क यह है कि चूंकि कुछ डेबिट नोट उनके अस्तित्व से पहले जाली थे

अदालती कार्यवाही में पेश किया गया, न केवल इकबाल सिंह मारवाह में अनुपात लागू होगा, बल्कि यह भी कि आई. पी. सी. की "जालसाजी" धाराओं के तत्व अब तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक मामलों में जहां आई. पी. सी. की धारा 463 में परिभाषित जालसाजी के तत्व हैं

यह कहा गया है, और इसलिए, एक निजी शिकायतकर्ता को बिना उपचार के नहीं छोड़ा जाना चाहिए, फिर भी इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में दी गई चेतावनी को ध्यान में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। [पैरा 43] [1118-डी-जी]

7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भले ही दोनों शिकायतों में किए गए सभी कथन (जो स्पष्ट रूप से धाराओं के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं)

191 और दंड संहिता के 192) को अलग रखा गया है, और उन्हें

केवल उन डेबिट नोटों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें उत्तरदाताओं द्वारा "बनाया गया" कहा जाता है, यह स्पष्ट है कि डेबिट नोट आईपीसी की धारा 464 के तहत "झूठे दस्तावेज" नहीं थे।

क्योंकि उन्हें इस इरादे से नहीं बनाया गया था कि यह विश्वास हो कि वे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार में बनाए गए थे। चूँकि जालसाजी का यह मूल घटक स्वयं नहीं बनाया गया है, इसलिए आई. पी. सी. के अध्याय XVIII में जिन धाराओं पर भरोसा करने की मांग की गई है, उनमें से किसी को भी इस मामले के तथ्यों में प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 52] [1127-बी सी]

8. अब अपीलार्थियों की कुछ अन्य प्रस्तुतियों से निपटना बाकी है। निष्कर्ष को चुनौती देने वाले अपीलार्थियों का प्रस्तुतिकरण

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने कोई कार्यवाही दायर नहीं की

सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत यह शिकायत करने के लिए कि शिकायत अन्य अपराधों का भी खुलासा करती है, और मजिस्ट्रेट को इसके लिए प्रक्रिया जारी करनी चाहिए थी, कोई आधार नहीं है। क्या उच्च न्यायालय सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य करता है, यह उच्च न्यायालय को तय करना है, क्योंकि उच्च न्यायालय में निहित विवेकाधिकार का उपयोग मामले के तथ्यों पर किया जाना है। जैसा कि इस न्यायालय ने देखा है, इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आई. डी. 1 की तारीख वाली दो शिकायतों में सी. आर. पी. सी. की धारा 340 के साथ पठित धारा 195 को सही ढंग से लागू किया गया था, और फिर मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. होने की मांग की गई थी।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी

निजी शिकायतों में परिवर्तित, जिससे एक गोल भूमिका में एक चौकोर खूंटी को फिट करने का प्रयास किया जाता है। यह सही ढंग से बाधित किया गया है सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में, और अपील के अधीन उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। [पैरा 53] [1127-डी-एफ]

9. इस आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं को विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस अदालत को ऐसा लगता है कि बच्चे और नहाने का पानी दोनों को एक साथ बाहर फेंक दिया गया है। हालांकि यह कहना सही है कि एक निजी शिकायत पर धर्मांतरण और उसके बाद प्रक्रिया जारी करने का आदेश सही नहीं हो सकता है, फिर भी मूल रूप से दायर की गई दो शिकायतों को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार मजिस्ट्रेट के आदेश को दरकिनार कर दिए जाने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को मूल शिकायतों को निजी शिकायतों में परिवर्तित करने से पहले पक्षों को पद से हटा देना चाहिए था। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए इस न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं का यह कहना सही है कि भले ही आई. पी. सी. की धारा 191 और 192 के तहत कथित रूप से गंभीर अपराध किए गए हैं, फिर भी शिकायतों को अब रद्द कर दिया गया है। इसलिए, दोनों शिकायतों को उनके मूल रूप में बहाल करें ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके।

सी. आर. पी. सी. की धारा 195 और 340 का अभ्यास। [पैरा 60] [1131-बी-डी]

इकबाल सिंह मारवाह और अन्र। वी. मीनाक्षी मारवाह और अन्र। (2005) 4 एससीसी 370: [2005] 2 एस. सी. आर. 708; बाबू लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1964] 4 एससीआर 957 -

पीछा किया। पटेल लालजीभाई सोमाभाई बनाम। गुजरात राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 376 [1971] पूरक। एससीआर 834; दौलत राम बनाम। पंजाब राज्य [1962] 2 पूरक। एस. सी. आर. 812; डॉ. एस. दत्त बनाम राज्य

उत्तर प्रदेश का [1966] 1 एस. सी. आर. 493; बबन सिंह और अन्र। वी. जगदीश सिंह और अन्र। [1966] 3 एससीआर 552; कमला प्रसाद सिंह बनाम। हरि नाथ सिंह [1967] 3 एससीआर 828;

कैलाश मंगल बनाम। रमेश चंद (2015) 15 एस. सी. सी. 729; नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (2019) 3 एस. सी. सी. 318 [2019] 2 एस. सी. आर. 643; बसीर-उल-हक और अन्य। वी. पश्चिम बंगाल राज्य [1953] एस. सी. आर. 836; कर्नाटक राज्य बनाम। हेमरेड्डी (1981) 2 एस. सी. सी. 185: [1981] 2 एस. सी. आर. 695; देवेंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 7 एस. सी. सी. 495 [2009] 7 एस. सी. आर. 872; मोहम्मद. इब्राहिम बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिहार (2009) 8 एससीसी 751: [2009] 13 एससीआर 1254; मीर

नागवी अस्करी बनाम। सीबीआई (2009) 15 एससीसी 643: [2009]

13 एस. सी. आर. 124-निर्भर।

3 एस. सी. आर. 70; मनसुखलाल धनराज जैन और अन्य। आदि. वी. एकनाथ विठ्ठल ओगले आदि (1995) 2 एस. सी. सी. 665: [1995] 1

एससीआर 996; महेश चंद शर्मा बनाम। यू. पी. राज्य और

ओआरएस। (2009) 15 एस. सी. सी. 519 [2009] 13 एस. सी. आर. 922 सी. पी.

सुभाष बनाम। पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य। (2013)

11 एससीसी 559: [2013] 1 एससीआर 545; किशोरभाई गंडुभाई पेथानी बनाम। गुजरात राज्य और अन्र।

(2014) 13 एससीसी 539: [2013] 10 एस. सी. आर. 208; विष्णु

चंद्रू गांवकर बनाम। एन. एम. देसाई (2018) 5 एससीसी 422: [2018] 3 एस. सी. आर. 103; सच्चिदानंद सिंह और अन्र। वी.

बिहार और अन्र राज्य। (1998) 2 एससीसी 493: [1998] 1

एस. सी. आर. 492-संदर्भित।

राज्य वक्फ बोर्ड, मद्रास बनाम। अब्दुल अज़ीज़ साहिब और

ओआरएस। एयर 1968 मैड। 79 ; रे. वी. वी. एल. नरसिम्हामूर्ति

ए. आई. आर. 1955 मैड 237 का उल्लेख किया गया है। -

मामला कानून संदर्भ

[2005] 2 एससीआर 708

पीछा किया।

[1996] 3 एससीआर 70

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1971] पूरक। एससीआर 834

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10

[1962] 2 पूरक। एससीआर 812

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[1964] 4 एससीआर 957

पीछा किया।

पै

रा 14

[1966] 1 एससीआर 493

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[1966] 3 एससीआर 552

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1967] 3 एससीआर 828

उस पर भरोसा करें

पै

रा 17

संदर्भित किया गया है

एयर 1968 मैड। 79

पै

रा 20

[1995] 1 एससीआर 996

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2009] 13 एससीआर 922

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

[2013] 1 एससीआर 545

संदर्भित किया गया है

पैरा 29 एम/एस बांडेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी

[2013] 10 एससीआर 208

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

[2018] 3 एससीआर 103

संदर्भित किया गया है

पै

रा 29

उस पर भरोसा करें

(2015) 15 एस. सी. सी. 729

पै

रा 31

[2019] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पै

रा 32

[1998] 1 एससीआर 492

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

[1953] एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

[1981] 2 एससीआर 695

उस पर भरोसा करें

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर. 1955 मैड 237

पै

रा 44

[2009] 7 एससीआर 872

उस पर भरोसा करें

पै

रा 47

[2009] 13 एससीआर 1254

उस पर भरोसा करें

पै

रा 49

[2009] 13 एससीआर 124

उस पर भरोसा करें

पै

रा 50

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

546-550 2017 से।

उच्च न्यायालय के 22.11.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

गोवा में बॉम्बे की आपराधिक रिट याचिका संख्या। 65 , 66 , 69 , 70 और 2013 का 73।

अनिल कुमार मिश्रा, ई. डाइस, पारिजात सिन्हा, सुश्री रेशमी रिया सिन्हा,

देवेश मिश्रा, रुद्र दत्ता, योगेश नाडकर्णी, ए. रघुनाथ, सुश्री रुचिरा गुप्ता, शिशिर देशपांडे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. इस मामले में कार्यवाही दो आपराधिक शिकायतों से उत्पन्न होती है।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 191 और 192 के तहत कथित अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सी. आर. पी. सी".) की धारा 195 के साथ पठित धारा 340 के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ उत्तर गोवा के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा दिनांक 11.08.2009 दायर किया गया।

2. उपरोक्त शिकायतों में अभियुक्त संख्या 1 एक स्वामित्व है।

गोवा में स्थित स्वर्गीय वी. जी. क्वीनिम की संस्था, जो लौह अयस्क के उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है। अभियुक्त Nos.2 और 3 क्रमशः उसका बेटा और पत्नी हैं, जो मैसर्स वी. जी. क्विनिम के सह-मालिक हैं, उपरोक्त वी. जी. क्विनिम की मृत्यु [2020] 10 एस. सी. आर. को हुई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20.07.2007 . मेसर्स वी. जी. क्विनिम्हाद ने वर्ष 1990 से अपीलार्थियों के साथ व्यावसायिक संबंध साझा किए। हालाँकि, पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, जिसके परिणामस्वरूप 2000/ए का मुकदमा, 8,14 और 21, मैसर्स वी. जी. क्वीनिम के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा बचोलिम में सिविल कोर्ट के समक्ष दायर किए गए थे। पाँचवाँ मुकदमा, मुकदमा संख्या 1/2003/ए, स्वर्गीय वी. जी. क्वीनिम द्वारा अपीलार्थियों के खिलाफ दायर किया गया था, जो था

01.10.2007 पर बिना शर्त वापस ले लिया गया। प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों द्वारा दायर किए गए उक्त मुकदमों में अपने लिखित बयान और जवाबी दावे दायर किए।

3. पाँचवाँ मुकदमा वापस लेने के बाद, ये आपराधिक शिकायतें दायर की गईं, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि इनमें कार्यवाही में, प्रत्यर्थी/अभियुक्त ने गलत सबूत दिए थे, और जाली डेबिट नोट बनाए थे और खातों की पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां की थीं। पणजी में उत्तरी गोवा में दो आदेशों द्वारा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I ने शिकायतों को यह कहते हुए वापस कर दिया कि ये शिकायतें केवल उस न्यायालय में दायर की जा सकती हैं जिसके समक्ष ऐसी कार्यवाही की गई थी।

लंबित जिसमें कथित अपराध किए गए थे। इसके बाद शिकायतें बिचोलिम में प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की गईं।

4. उक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाहों द्वारा विभिन्न बयान दिए जाने के बाद, 09.05.2011 दिनांकित एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओं ने इकबाल सिंह मारवाह और अन्न मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रार्थना की थी। वी. मीनाक्षी मारवाह और अन्न। (2005) 4

एस. सी. सी. 370, कि उक्त शिकायतों को निजी शिकायतों में परिवर्तित किया जाए। यह न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनांक 1 के दो आदेशों द्वारा किया गया था, जिन्होंने उक्त शिकायतों को निजी शिकायतों में परिवर्तित करने के बाद आई. पी. सी. की धारा 191,192 और 193 के तहत प्रक्रिया जारी की। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं ने उपरोक्त धाराओं के तहत प्रक्रिया के मुद्दे को चुनौती देने के लिए कोई संशोधन या अन्य कार्यवाही दायर नहीं की।

आईपीसी की।

5. हालाँकि, प्रत्यर्थियों ने उक्त आदेशों के खिलाफ पुनरीक्षण आवेदन दायर किए, जिसमें कहा गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) में निहित प्रतिबंध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रक्रिया अनिवार्य होने के कारण, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था, और समग्र रूप से पढ़ी गई शिकायतों से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 191 से 193 के तहत अपराध किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की उपरोक्त धाराओं के तहत अभ्यास का पालन करना होगा। उपरोक्त संशोधन आवेदनों को दायर किए गए 08.10.2012 दिनांकित जवाबी हलफनामे में, मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अपीलकर्ताओं ने पहली बार यह याचिका दायर की कि आई. पी. सी. की धारा 463,464,465,467,468,469,471,474,475 और 477-ए के तहत अपराध भी प्रत्यर्थियों के खिलाफ किए गए थे।

शिकायत कायम रखी जा सकती है। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मापुसा ने अपने दिनांक 05.03.2013 के फैसले में कहा कि धारा के तहत प्रतिबंध 195 (1) (ख) (i) दंड प्रक्रिया संहिता को आकर्षित किया गया था, और यह कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के तहत प्रावधान, जो अनिवार्य थे, का पालन करना था।

चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति दी गई और शिकायतों को रद्द कर दिया गया। इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) को यह कहते हुए अलग किया गया कि यह एक ऐसा निर्णय था जो सीआरपीसी की धारा 195 (1) (बी) (ii) से संबंधित था न कि धारा 195 (1) (बी) (i) से, और इसलिए, इस मामले के तथ्यों में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं होगा।

6. उपरोक्त के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा दायर लिखित याचिकाएँ

निर्णय असफल साबित हुआ, उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.11.2013 के विवादित निर्णय द्वारा उपरोक्त रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि दिए गए साक्ष्य उनके झूठे मामले को पूरी तरह से खारिज कर देंगे। विद्वान वकील ने तब विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण याचिका के लिए दायर जवाबी हलफनामे का उल्लेख किया ताकि उनकी याचिका को पुष्ट किया जा सके कि आई. पी. सी. की "जालसाजी" धाराओं के तहत अपराध किए गए थे, जो सभी एक निजी शिकायत का विषय होगा, और जिन्हें धारा 340 सी. आर. पी. सी. द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ता है। वे इकबाल सिंह पर बहुत अधिक निर्भर थे। मारवाह (ऊपर) ने तर्क दिया कि जो दस्तावेज और लेखा पुस्तकें आदि जाली थीं, वे सभी अदालत की कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में लिए जाने से पहले जाली थीं, जिसके परिणामस्वरूप निर्णय पूरी तरह से लागू हुआ और इसलिए एक निजी शिकायत कायम रखी जाएगी। वह.

यह भी तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का यह कहना गलत था कि अपीलकर्ताओं ने कोई धारा 482 याचिका दायर नहीं की थी जिसमें यह शिकायत की गई थी कि शिकायतों में अन्य अपराधों का भी खुलासा हुआ है और मजिस्ट्रेट को इसके लिए प्रक्रिया जारी करनी चाहिए थी। उन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले के इस हिस्से पर हमला करने के लिए एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय को [2020] 10 एस. सी. आर. नहीं होना चाहिए।

समारोह पर खड़ा था, लेकिन अगर उसे अन्याय मिला था, तो उसे CrPC.He की धारा 482 के तहत स्वतः ही शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था। यह कहते हुए कि यह सुरजित सिंह बनाम पर निर्भर है, विवादित फैसले पर हमला किया। बलबीर सिंह (1996) 3 एस. सी. सी. 533, एक निर्णय जिसे इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है, यह भी दिखाएगा कि उपरोक्त निर्णय का तर्क पूरी तरह से दोषपूर्ण है। उन्होंने इकबाल सिंह मारवाह के बाद आए कई फैसलों का हवाला दिया।

(ऊपर), और कहा कि यह कहना गलत था कि यह केवल धारा 195 (1) (बी) (ii) तक ही सीमित था, लेकिन इसका तर्क स्पष्ट रूप से उन मामलों पर लागू होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (i) के साथ-साथ धारा 195 (1) (बी) (ii) दोनों के भीतर आते हैं। एक वैकल्पिक तर्क के रूप में, उन्होंने उस प्रक्रिया को जोड़ा।

गलत धाराओं को बताते हुए जारी किया गया हो सकता है, जो नहीं होगा

अंतर, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 211 के तहत आरोप तैयार करने के चरण में, सही धाराओं को तब संदर्भित किया जा सकता है। इसके बाद भी, सीआरपीसी की धारा 216 के तहत बनाए गए आरोपों को हमेशा बदला जा सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 (ई) के तहत, एक बार जब कोई मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत प्रक्रिया जारी कर देता है, तो कार्यवाही के दौरान की गई किसी भी अनियमितता को हमेशा माफ किया जा सकता है। उनके अनुसार, इसलिए, शिकायतों को निजी शिकायतों के रूप में सही ढंग से दर्ज किया गया था और इसे जारी रखा जाना चाहिए।

8. श्री योगेश नाडकर्णी, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

प्रत्यर्थियों ने लंबित मुकदमों और शिकायतों के रूपांतरण के लिए आवेदन का उल्लेख किया, जो उनके अनुसार सही थे।

सी. आर. पी. सी. की धारा 340 के साथ पठित धारा 195 के तहत दायर किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में सही था कि इकबाल सिंह मारवाह (उपर्युक्त) एक ऐसा मामला था जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत उत्पन्न हुआ था, और यह कि वर्तमान मामले में दायर शिकायतें अपराधों का खुलासा करती हैं।

जो CrPC.He की धारा 195 (1) (बी) (आई) के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने यह भी जोरदार तर्क दिया कि डेबिट नोट, जो अपीलार्थियों के मामले के पत्रक-एंकर थे, को जाली नहीं कहा जा सकता है।

आई. पी. सी. की धारा 463 और 464 का अर्थ, डेबिट नोटों के रूप में, भले ही बेईमानी से या धोखाधड़ी से बनाए गए हों, यह विश्वास दिलाने के इरादे से बनाए जाने थे कि ऐसे डेबिट नोट एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे जिसे बनाने वाला व्यक्ति जानता था कि यह नहीं बनाया गया था, जो कि मामला नहीं है, क्योंकि डेबिट नोट एकल स्वामी के लेटरहेड पर बनाए गए थे, जिसमें स्वामी के लेखन और हस्ताक्षर थे। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि आई. पी. सी. के तहत जालसाजी की धाराएं शिकायतों की ओर बिल्कुल भी

आकर्षित नहीं होती हैं, जो धारा 195 के तहत सही ढंग से दायर की गई थीं, जिसे मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. कहा जाता है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 के साथ। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी के पुनरीक्षण आवेदनों के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा जिस जवाबी-हलफनामे पर भरोसा किया गया था, वह स्पष्ट रूप से एक निराशाजनक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक विचार था। मामला। किसी भी स्थिति में, शिकायतों को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिकायतों की संपूर्णता आई. पी. सी. की धारा 191 और 192 के तहत किए गए अपराधों में या उनके संबंध में थी जिसका उपयोग न्यायिक कार्यवाही में किया जाता था और इसलिए, यह पूरी तरह से सी. आर. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) के अंतर्गत आती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि एक निजी में परिवर्तन के बाद

शिकायत पर, मजिस्ट्रेट ने केवल आई. पी. सी. की धारा 191 से 193 के तहत प्रक्रिया जारी की, जिसे अपीलकर्ताओं ने चुनौती नहीं दी। वह.

धारा 195 द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से संबंधित निर्णयों के साथ-साथ इकबाल सिंह मारवाह को अलग करने वाले निर्णयों का भी हवाला दिया।

(उपर्युक्त) इस आधार पर कि यह केवल धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत आने वाले मामलों पर लागू होता है और न कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (i) के तहत आने वाले मामलों पर।

9. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, सी. आर. पी. सी. की प्रासंगिक धाराओं को निर्धारित करना आवश्यक है और आईपीसी।

सीआरपीसी

" 190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। (1) विषय

इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, प्रथम श्रेणी का कोई मजिस्ट्रेट,

(ग) पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है प्रतिबद्ध।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी मजिस्ट्रेट को अधिकार दे सकता है।

ऐसे अपराधों की उप-धारा (1) के तहत संज्ञान लेना जो जांच करने या प्रयास करने की उसकी क्षमता के भीतर हैं। "

195. जनता के वैध अधिकार की अवमानना के लिए अभियोजन

सेवकों, सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराधों और अपराधों के लिए [2020] 10 एस. सी. आर.

साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित। — (1) कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी।

((i) धारा 172 से 188 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का।

(भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के दोनों सहित), या

((ख) ऐसा अपराध करने के लिए उकसाने या करने का प्रयास करने के लिए, या ((ग) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक साजिश का,

संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत को छोड़कर

या किसी अन्य लोक सेवक का, जिसके वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है।

(बी) (i) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए, अर्थात् धारा 193 से 196 (दोनों सहित), 199,200,205 से 211 (दोनों सहित) और 228, जब ऐसा अपराध कथित रूप से किया गया है, या

न्यायालय, या ((ग) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करने या करने का प्रयास करने या करने के लिए उकसाने की किसी आपराधिक साजिश का,

उस न्यायालय या ऐसे अधिकारी की लिखित शिकायत को छोड़कर

न्यायालय के रूप में वह न्यायालय इस ओर से लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है, या किसी अन्य न्यायालय के जिसके अधीन वह न्यायालय है।

(2) जहां किसी लोक सेवक द्वारा उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत कोई शिकायत की गई है, कोई भी प्राधिकरण जिसके लिए वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है, शिकायत को वापस लेने का आदेश दे सकता है और न्यायालय को ऐसे आदेश की एक प्रति भेज सकता है और न्यायालय द्वारा इसकी प्राप्ति पर, शिकायत पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि इस तरह की वापसी का आदेश नहीं दिया जाएगा यदि पहली बार के न्यायालय में मुकदमा समाप्त हो गया है।

(3) उप-धारा (1) के खंड (बी) में, "न्यायालय" शब्द का अर्थ है एक सिविल, राजस्व या आपराधिक न्यायालय, और इसमें मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. द्वारा गठित एक न्यायाधिकरण शामिल है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके तहत यदि उस अधिनियम द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए न्यायालय घोषित किया जाता है।

(4) उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, एक न्यायालय को उस न्यायालय के अधीनस्थ माना जाएगा जिसके समक्ष अपील की जाती है।

आमतौर पर ऐसे पूर्व न्यायालय के अपील योग्य फरमानों या वाक्यों से, या ऐसे दीवानी न्यायालय के मामले में, जिसके फरमानों से आम तौर पर कोई अपील नहीं होती है, सामान्य मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान न्यायालय को, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर ऐसा दीवानी न्यायालय स्थित है:

किसी भी न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि इसमें निर्दिष्ट किसी भी अपराध की जांच की जानी चाहिए। धारा 195 की उप-धारा (1) का खंड (ख), जो

उस न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में या, जैसा भी मामला हो, उस न्यायालय में किसी कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किए गए हैं, ऐसा न्यायालय, ऐसी प्रारंभिक जांच के बाद, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझता है,

(क) उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करें;

(ख) लिखित रूप में इसकी शिकायत करें;

(ग) इसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजें;
(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए पर्याप्त सुरक्षा लें, या यदि कथित अपराध गैर-जमानती है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो अभियुक्त को हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजें; और [2020] 10 एस. सी. आर.

(ई) किसी भी व्यक्ति को पेश होने और पहले सबूत देने के लिए बाध्य करता है।

ऐसे मजिस्ट्रेट।

(2) किसी अपराध के संबंध में उप-धारा (1) द्वारा किसी न्यायालय को प्रदत्त शक्ति का उपयोग, किसी भी मामले में जहां उस न्यायालय ने उस अपराध के संबंध में न तो उप-धारा (1) के तहत शिकायत की है और न ही ऐसी शिकायत करने के लिए किसी आवेदन को खारिज किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके अधीन ऐसा पूर्व न्यायालय धारा 195 की उप-धारा (4) के अर्थ के भीतर अधीनस्थ है।

(3) इस धारा के तहत की गई शिकायत पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(क) जहां शिकायत करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है, वहां न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय नियुक्त करे; (ख) किसी अन्य मामले में, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या

न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे न्यायालय अधिकृत करे

इस बारे में लिखें।

(4) इस धारा में "न्यायालय" का वही अर्थ है जो धारा 195 में है। 341. अपील करें। (1) कोई भी व्यक्ति जिसके आवेदन पर उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय ने धारा 340 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत शिकायत करने से इनकार कर दिया है, या जिसके खिलाफ ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसी शिकायत की गई है, वह अपील कर सकता है

(2) इस धारा के तहत एक आदेश, और ऐसे किसी आदेश के अधीन, धारा 340 के तहत एक आदेश अंतिम होगा, और संशोधन के अधीन नहीं होगा। " 343. मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की प्रक्रिया। — (1) एक मजिस्ट्रेट जिसे धारा 340 या धारा 341 के तहत शिकायत की जाती है, अध्याय XV में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मामले से निपटने के लिए, जहां तक हो सके, आगे बढ़ेगा, जैसे कि यह एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था।

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(2) जहां यह ऐसे मजिस्ट्रेट या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया जाता है, जिसे मामला स्थानांतरित किया गया हो सकता है, कि मामले में आए निर्णय के खिलाफ अपील लंबित है।

न्यायिक कार्यवाही जिसमें से मामला उत्पन्न हुआ है, वह, यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी स्तर पर मामले की सुनवाई को तब तक के लिए स्थगित कर सकता है जब तक कि ऐसी अपील का निर्णय नहीं हो जाता।

आईपीसी

" 24. " बेईमानी से "। जो कोई भी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान पहुँचाने के इरादे से कुछ भी करता है, उसे "बेईमान" कहा जाता है।

25. " धोखाधड़ी से "। — एक व्यक्ति को धोखाधड़ी से एक काम करने के लिए कहा जाता है यदि वह धोखा देने के इरादे से वह काम करता है लेकिन अन्यथा नहीं।

" 191. गलत सबूत देना। जो कोई भी, कानूनी रूप से किसी शपथ से या सच्चाई बताने के लिए कानून के एक स्पष्ट प्रावधान से बाध्य होने के कारण, या किसी भी विषय पर घोषणा करने के लिए कानून से बाध्य होने के कारण, कोई भी बयान देता है जो गलत है, और जिसे वह या तो जानता है या मानता है। गलत होना या सच नहीं मानना, गलत सबूत देना कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1. - एक कथन इस खंड के अर्थ के भीतर है, चाहे वह मौखिक रूप से किया गया हो या अन्यथा।

स्पष्टीकरण 2. - सत्यापित करने वाले व्यक्ति के विश्वास के बारे में एक गलत बयान इस धारा के अर्थ के भीतर है, और एक व्यक्ति यह कहकर गलत सबूत देने का दोषी हो सकता है कि वह एक ऐसी चीज पर विश्वास करता है जिस पर वह विश्वास नहीं करता है, साथ ही यह कहकर कि वह एक ऐसी चीज जानता है जिसे वह नहीं जानता है।

192. झूठे सबूत गढ़ना। जो कोई भी किसी भी परिस्थिति का कारण बनता है या किसी भी पुस्तक या रिकॉर्ड, या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई गलत प्रविष्टि करता है या कोई भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाता है जिसमें गलत बयान होता है, जिसका उद्देश्य है कि

परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत कथन किसी न्यायिक कार्यवाही में या किसी लोक सेवक के समक्ष या मध्यस्थ के समक्ष कानून द्वारा की गई कार्यवाही में साक्ष्य में दिखाई दे सकता है, और यह कि

परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत बयान, इस प्रकार साक्ष्य में उपस्थित होने पर, किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य पर एक राय बनाना चाहता है, एक गलत कथन स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूने वाली राय को "गलत सबूत गढ़ने के लिए" कहा जाता है।

193. झूठे सबूत के लिए सजा। जो कोई भी जानबूझकर किसी भी न्यायिक कार्यवाही में गलत साक्ष्य देता है, या न्यायिक प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से गलत साक्ष्य बनाता है।

न्यायिक कार्यवाही को सात वर्ष तक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा; और जो कोई भी जानबूझकर किसी अन्य मामले में गलत साक्ष्य देता है या गढ़ता है, उसे निम्न प्रकार से दंडित किया जाएगा -

" 463. जालसाजी। जो कोई भी झूठा दस्तावेज़ या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है, जनता या किसी भी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने का इरादा, या किसी भी दावे या अधिकार का समर्थन करने का इरादा, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने का कारण बनना, या कोई स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करना, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या कि धोखाधड़ी की जा सकती है, जालसाजी करता है।

464. झूठा दस्तावेज़ बनाना। एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जाता है - सबसे पहले। जो बेईमानी से या धोखाधड़ी से

(ए) किसी दस्तावेज़ या दस्तावेज़ के हिस्से को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है;

(बी) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या किसी के हिस्से को बनाता है या प्रसारित करता है

(ग) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को चिपकाता है; (घ) किसी दस्तावेज़ के निष्पादन को दर्शाने वाला कोई निशान बनाता है या

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दूसरा। जो वैध अधिकार के बिना, बेईमानी से या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उसके किसी भी भौतिक हिस्से में बदल दिया जाता है, इसे बनाने के बाद, निष्पादित किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चिपकाया जाता है, चाहे वह व्यक्ति जीवित हो या

इस तरह के परिवर्तन के समय मृत; या

तीसरी बात। जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को

किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करना, मुहर लगाना, निष्पादित करना या उसमें बदलाव करना या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करना, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मन की अस्वस्थता या नशे के कारण ऐसा नहीं कर सकता है, या यह कि उस पर किए गए धोखे के कारण, वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सामग्री को नहीं जानता है।

या परिवर्तन की प्रकृति।

स्पष्टीकरण 1. - एक आदमी के अपने नाम के हस्ताक्षर की राशि हो सकती है।

जालसाजी करना

स्पष्टीकरण 2. एक काल्पनिक व्यक्ति के नाम पर एक झूठा दस्तावेज़ बनाना, यह मानने के इरादे से कि दस्तावेज़

एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा, या एक मृत व्यक्ति के नाम पर, यह मानने के इरादे से बनाया गया था कि दस्तावेज़ द्वारा बनाया गया था

स्पष्टीकरण 3. - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने वाली" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो निर्धारित किया गया है - यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में है।

10. सी. आर. पी. सी. की धारा 190 में कहा गया है कि एक मजिस्ट्रेट ले सकता है

तीन स्थितियों में से किसी एक में किसी भी अपराध का अभिग्रहणः (ए) ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त करने पर जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं; (बी) पुलिस परऐसे तथ्यों का; और (ग) किसी पुलिस अधिकारी के अलावा किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर, या उसकी अपनी जानकारी पर, कि ऐसा अपराध किया गया है। हालाँकि, सी. आर. पी. सी. की धारा 195 में कहा गया है कि इसके दायरे में आने वाली बाड़ों में, कोई भी न्यायालय किसी लोक सेवक के लिखित में शिकायत के अलावा, अपराध [2020] 10 एस. सी. आर. के रूप में संज्ञान नहीं लेगा।

जहाँ तक उपखंड (1) (क) में वर्णित उपबंधों का संबंध है, उपखंड (1) (क) में उल्लिखित उपखंड और उपखंड (3) द्वारा परिभाषित "न्यायालय" की शिकायत से संबंधित हैं। लालजी भाई सोमाभाई बनाम में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को लागू करने का कारण सम्मानपूर्वक बताया गया है। गुजरात राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 376

बनाम -

निजी पक्षों का खुद को पीड़ित मानते हुए आपराधिक अभियोजन शुरू करने के लिए उन धाराओं में उल्लिखित अपराध

एक से प्रेरित तुच्छ, कष्टप्रद या अपर्याप्त आधारों पर

अपने विरोधियों को परेशान करने या उनका विरोध करने की बदला लेने की इच्छा। ये

न्यायालय के नियंत्रण के लिए अपराधों का चयन किया गया है क्योंकि

न्यायिक प्रक्रिया पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव। यह न्यायिक प्रक्रिया है,

दूसरे शब्दों में, लोक न्याय का प्रशासन, जो उन अपराधों का प्रत्यक्ष और तत्काल उद्देश्य या पीड़ित है और यह केवल अदालतों को गुमराह करके और इस तरह कानून और न्याय के उचित पाठ्यक्रम को विकृत करके है कि निजी पक्ष को नुकसान पहुंचाने का अंतिम उद्देश्य साकार करने के लिए बनाया गया है। चूंकि न्यायालय की कार्यवाही की शुद्धता सीधे अपराध से धूमिल होती है, इसलिए न्यायालय को माना जाता है

की वांछनीयता पर विचार करने का हकदार एकमात्र पक्ष होना

दोषी पक्ष के खिलाफ शिकायत करना। निजी पक्ष अंततः खिलाफ अपराध के माध्यम से घायल होने के लिए डिज़ाइन किया गया लोक न्याय प्रशासन निस्संदेह शिकायत दर्ज करने के लिए उसे राजी करने के लिए अदालत का रुख करने का हकदार है। लेकिन ऐसी पार्टी है

धारा 190 सी. आर. पी. सी. द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य अधिकार से वंचित, पीड़ित पक्ष सीधे आपराधिक कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। जिन अपराधों के बारे में केवल अदालत, पीड़ित निजी पक्षों को छोड़कर, शिकायत करने के अधिकार के साथ पहनी हुई है

इसलिए, उचित रूप से केवल उन्हीं पर विचार किया जा सकता है उस न्यायालय में कार्यवाही के लिए एक पक्ष द्वारा किए गए अपराध,

जिसके कमीशन का इसके साथ काफी करीबी संबंध है

उस न्यायालय में कार्यवाही ताकि वह पूरी तरह से स्वतंत्र और नई जांच शुरू किए बिना, मुख्य रूप से अपने अभिलेखों के संदर्भ में संतोषजनक रूप से विचार कर सके। अपराधी पक्ष पर मुकदमा चलाना "।

11. इस धारा को अनिवार्य माना गया है, क्योंकि

सी. आर. पी. सी. की धारा 190, मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. के तहत संज्ञान लेने पर प्रतिबंध।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जब तक धारा की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है

दौलत राम बनाम। पंजाब राज्य (1962) सप. 2 एस. सी. आर. 812 निम्नानुसार है (पृष्ठ 815 पर):

इस तरह की शिकायत को छोड़कर संज्ञान लेना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हर मामले में अदालत को उपयुक्त लोक सेवक द्वारा स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि क्या तहसीलदार को संबंधित लोक सेवक कहा जा सकता है और क्या उसने लिखित रूप में शिकायत दर्ज नहीं की थी, क्या आरोप पत्र दाखिल करने में पुलिस अधिकारियों ने धारा 195 की आवश्यकताओं को पूरा किया था। "कोई भी अदालत संज्ञान नहीं लेगी" शब्दों की व्याख्या एक से अधिक अवसरों पर की गई है और वे दर्शाते हैं कि अदालत के मामले को देखने के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय तरीके के। अनुभाग द्वारा प्रदान किया गया "।

12. सी. आर. पी. सी. की धारा 340 के तहत, सी. आर. पी. सी. की धारा 195 में उल्लिखित मामलों में प्रक्रिया निर्धारित की गई है। न्यायालय यदि आवश्यक समझता है तो प्रारंभिक जाँच कर सकता है, और फिर इस आशय का निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय को स्वयं लिखित रूप में शिकायत करनी है, और इसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजना है। जहाँ न्यायालय ऐसी कोई शिकायत करने से इनकार करता है, वहाँ एक अपील है -

सी. आर. पी. सी. की धारा 341 के तहत प्रावधान। की अपीलीय शक्ति

जहाँ तक धारा 340 के तहत शिकायत की गई है, धारा 341 के तहत अदालत को भी इस तरह से पीड़ित व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है। अनुभाग द्वारा 341 (2) , अपीलीय आदेश अंतिम होगा और संशोधन के अधीन नहीं होगा। अंत में, एक मजिस्ट्रेट जिसे इन धाराओं के तहत शिकायत की जाती है, वह मामले से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा जैसे कि यह एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था-धारा 343 (1) के अनुसार।

13. विद्वान वकील की ओर से बलपूर्वक तर्क दिया गया मुद्दा

अपीलार्थियों का यह कहना है कि उनके मुवक्किल, जालसाजी के शिकार होने के कारण, जालसाजी के कृत्यों के संबंध में उपचारहीन नहीं होने चाहिए जो हैं - इससे पहले कि वे एक अदालत की कार्यवाही में सबूत के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और इसलिए, एक निजी शिकायत ऊपर उल्लिखित दो आपराधिक शिकायतों में उल्लिखित तथ्य परिस्थितियों में बनाए रखने योग्य होगी। इस प्रकार न्यायालय को एक स्पेक्ट्रम के दो विपरीत ध्रुवों के बीच चलना पड़ता है-"यिन" एक व्यक्ति को तुच्छ से सुरक्षा प्रदान करता है।

आपराधिक शिकायतें, और "यांग" पीड़ित का अधिकार है [2020] 10 एस. सी. आर.

उसकी शिकायत और अदालत को एक निजी शिकायत के माध्यम से जालसाजी के अपराध का मुकदमा चलाने के लिए कहें। यह समझने के लिए कि क्या यह मामला तुच्छ मुकदमेबाजी से बचने की श्रेणी में आता है, या क्या यह इसके अंतर्गत आता है

एक निजी शिकायत को आगे बढ़ाने का व्यक्ति का अधिकार, हमें इस न्यायालय के कई निर्णयों को संदर्भित करने की आवश्यकता है।

14. बाबू लाल बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1964) 4 एस. सी. आर. 957, इस न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की पीठ ने दोनों के बीच के अंतर पर विचार किया।

एक ओर आई. पी. सी. की धारा 192 और 193 और दूसरी ओर आई. पी. सी. की "जालसाजी" धाराओं के तहत किए गए अपराधों के तत्व। न्यायालय ने इसे इस प्रकार रखा (पृष्ठ 962-963 पर):

" यह सच है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय झूठे साक्ष्य गढ़ने और गलत दस्तावेज बनाने और भारतीय दंड संहिता की धारा 463 और 464 के अर्थ के भीतर जालसाजी करने के कार्य के कुछ तत्व सामान्य हैं। कोई व्यक्ति किसी पुस्तक या अभिलेख में गलत प्रविष्टि करके या गलत कथन वाला कोई दस्तावेज बनाकर, यदि धारा 463 की निर्धारित शर्तें निम्नलिखित हैं -

पूरा हुआ, जालसाजी का अपराध करें। लेकिन महत्वपूर्ण घटक जो भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अर्थ के भीतर गलत साक्ष्य के निर्माण का गठन करता है, इसके अलावा एक परिस्थिति का अस्तित्व पैदा करना या एक काल्पनिक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए एक गलत दस्तावेज बनाना-यह इरादा है कि इस तरह से बनाई गई परिस्थिति या गलत दस्तावेज न्यायिक कार्यवाही में, या एक लोक सेवक के सामने या एक मध्यस्थ के सामने साक्ष्य में दिखाई दे सकता है, और एक गलत राय के गठन का कारण बन सकता है।

कार्यवाही के परिणाम के लिए कोई बिंदु सामग्री। इसलिए जालसाजी और न्यायिक कार्यवाही में इसका उपयोग करने के उद्देश्य से झूठे साक्ष्य गढ़ने के अपराध स्पष्ट हैं, और

धारा 479-ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए झूठे साक्ष्य गढ़ने का विवरण, जालसाजी का अपराध शामिल नहीं है। किसी भी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 471 के तहत दंडित अपराध कभी भी धारा 479-ए की उप-धारा (1) के दायरे में नहीं आ सकता है। अतः ए के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए

वह व्यक्ति जिसने किसी न्यायिक कार्यवाही में झूठे दस्तावेज़ का बेईमानी या धोखाधड़ी से उपयोग किया है, केवल सहारा लिया जा सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 476 "।

15. डॉ. एस. दत्त बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1966) 1 एस. सी. आर. 493, यह प्रश्न एक विशेषज्ञ गवाह (अर्थात अपीलार्थी मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी.) के संदर्भ में उठा।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष) जिन्होंने लंदन में इंपीरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सत्र न्यायालय के समक्ष डिप्लोमा प्रस्तुत किया, इस प्रभाव से कि उन्होंने अपराध विज्ञान के विषय में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। अभियोजन पक्ष ने आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत आई. डी. 1 के अभियोजन के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा 195 के तहत सत्र न्यायाधीश को आवेदन दिया। इस आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसकी अस्वीकृति के दो दिन बाद, निजी शिकायतकर्ता ने एक पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि आई. डी. 1 ने आई. पी. सी. की धारा 465,466 और 471 के तहत अपराध किया है, जिसमें कहा गया है कि प्रस्तुत किया गया डिप्लोमा जाली था, और डॉ. दत्त ने अदालत में इसका इस्तेमाल किया था। एक बुरा मकसद ", इसे असली बताते हुए। इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या निजी शिकायत आई. पी. सी. की धारा 463 से आई. पी. सी. में निहित "जालसाजी" धाराओं के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 191 से 193 या 196 के तहत अपराधों के लिए थी। आई. पी. सी. में निहित धाराओं के दो सेटों को निर्धारित करने के बाद, अदालत ने निर्णय दियाः

" दोनों समूहों के तहत अपराधों के बीच व्यापक अंतर है

जाली दस्तावेजों का बेईमानी या धोखाधड़ी से उपयोग करने के अपराधों के साथ धारा 471। धारा 193 गलत साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित है और धारा 196 गलत होने के लिए ज्ञात साक्ष्य का भ्रष्ट उपयोग करने से संबंधित है। पहले समूह में अपराध का सार एक झूठा दस्तावेज बनाना है और दूसरे समूह में अपराधों का सार झूठी परिस्थितियों की प्राप्ति या गलत बयान वाले दस्तावेज बनाना है ताकि एक न्यायिक अधिकारी गलत साक्ष्य के विश्वास पर न्यायिक कार्यवाही में गलत राय बना सके। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां धारा 471 में उपयोगकर्ता को धोखाधड़ी, बेईमान या दोनों होने की आवश्यकता होती है, वहीं धारा 196 संतुष्ट होती है यदि उपयोगकर्ता भ्रष्ट है। दंड संहिता अभिव्यक्ति को धोखाधड़ी और बेईमानी से परिभाषित करती है लेकिन अभिव्यक्ति को भ्रष्ट नहीं करती है।

अब हम अपराधों के दो समूहों को लागू करने का प्रयास करेंगे।

अध्याय XI और अध्याय XVIII में डॉ. दत्त के सिद्ध कृत्यों को शामिल किया गया है। हम ग्यारहवें अध्याय से शुरुआत करेंगे। धारा 192 में "झूठे साक्ष्य गढ़ने" की परिभाषा, जो पहले ही उद्धृत की गई है, इस मामले को स्पष्ट रूप से शामिल करती है। अगर डॉ. दत्त ने मनगढ़ंत

गलत डिप्लोमा उन्होंने एक दस्तावेज़ बनाया जिसमें एक गलत बयान था जिसका उद्देश्य था कि यह सबूत में दिखाई दे सकता है और इसलिए इसमें दिखाई दे सकता है साक्ष्य किसी भी व्यक्ति को [2020] 10 एस. सी. आर. के लिए बिंदु सामग्री को छूते हुए एक गलत राय का मनोरंजन करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

न्यायिक कार्यवाही का परिणाम। डॉ. दत्त, जैसा कि आरोप लगाया गया था, गलत तरीके से एक विशेषज्ञ के रूप में पेश कर रहे थे और उन मामलों के बारे में गवाही दे रहे थे जो मुकदमे के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण थे। अवसर मिलने पर अपने दावे का समर्थन करने के लिए उनके पास एक दस्तावेज था। उन्होंने दस्तावेज़ प्रस्तुत किया,

हालाँकि ऐसा करने के लिए कहा गया था, यह इरादा रखते हुए कि पीठासीन न्यायाधीश डॉ. दत्त और उनके साक्ष्य की प्रासंगिकता के बारे में गलत राय बना सकते हैं। इस प्रकार मामला धारा 192 द्वारा कवर किया गया था। जब डॉ. दत्त ने पदच्युत किया, तो आइए हम उनके प्रशिक्षण के बारे में गलत मान लें, उन्होंने धारा 193 के तहत अपराध किया। एक बार फिर, जब डॉ. दत्त ने इस्तेमाल किया असली होने के नाते उनका आचरण भ्रष्ट था, चाहे वह बेईमानी हो या धोखाधड़ी।

(पृष्ठों पर 499-500)

" इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि डॉ. दत्त की कार्रवाई दंड संहिता की धारा 192 और 196 के अंतर्गत आती है। अगर डॉ. दत्त ने झूठ बोला अदालत में साक्ष्य या यदि उसने झूठा सबूत गढ़ा तो धारा 193 के तहत अपराध स्पष्ट रूप से किया गया था। यदि वह मनगढ़ंत साक्ष्य का उपयोग करता है तो उसके द्वारा धारा 196 के तहत अपराध किया गया था। इन अपराधों का संज्ञान लेने से पहले सत्र न्यायाधीश से लिखित शिकायत की आवश्यकता होती।

(पृष्ठ 501 पर)

" इसलिए हम संतुष्ट हैं कि डॉ. दत्त का आचरण धारा 471 के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरी ओर, यह धारा 196 के अंतर्गत आता है जो शुद्धता के हित में अपने जाल को व्यापक बनाता है। न्याय का प्रशासन। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 196 के तहत अपराध धारा 465/471 के तहत अपराध की तुलना में कहीं अधिक गंभीर अपराध है। पहले वाले को सात साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा दी जाती है जबकि बाद वाले को दो साल तक के कारावास या जुर्माने की सजा दी जाती है।

इस संबंध में हम इस न्यायालय के उन शब्दों को फिर से याद कर सकते हैं जो श्री चारी द्वारा सामने रखे गए थे कि अभियोजन पक्ष के लिए किसी गंभीर आरोप को हटाने और उस आरोप का चयन करने की अनुमति नहीं है जिसके लिए संहिता की धारा 195 के तहत प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

दंड प्रक्रिया। यदि अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत था, तो संबंधित अदालत द्वारा लिखित रूप में शिकायत की आवश्यकता थी। शिकायत करने से पहले अदालत को विचार करना होता है

क्या न्याय के हित में अभियोजन का आदेश देना समीचीन है। कम अपराध में अदालत मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आवश्यक है और यह स्पष्ट है कि कम अपराध को चुना गया था

सत्र न्यायाधीश को दरकिनार करने के लिए जिन्होंने पहले निर्णय लिया था कि डॉ

दत्त पर झूठी गवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। ऐसा उपकरण नहीं है

प्रशंसा की जाए। हमारी राय में, वर्तमान मामले में अपराध

आई. पी. सी. की धारा 465/471 और अभियोजन पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है।

डॉ. दत्त के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ”

(पृष्ठों पर 503-504)

16. बबन सिंह और अन्र में। वी. जगदीश सिंह और अन्र। (1966)

आर 552, सवाल यह था कि क्या झूठे हलफनामों की शपथ

ई एक न्यायालय धारा 191 या 192 के तहत अपराध के बराबर होगा।

ई आई. पी. सी., या क्या आई. पी. सी. की धारा 199 को आकर्षित किया जाएगा,

एच मामले की धारा 479-ए द्वारा चित्रित विशेष प्रक्रिया

दंड प्रक्रिया, 1898 का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने

पृष्ठों पर 555-556):

" इस मामले पर तीन दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। करता है। झूठे शपथपत्रों की शपथ लेना एक अपराध के रूप में माना जाता है

एस. 199 , भारतीय दंड संहिता या किसी भी धारा के तहत। 191 या 192, भारतीय

दंड संहिता? यदि यह दो बाद की धाराओं के अंतर्गत आता है, तो वर्तमान

अभियोजन को कायम नहीं रखा जा सकता है, धारा 199 एक

साक्ष्य के रूप में उपयोग करने में सक्षम और जो न्याय का कोई भी न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति, द्वारा बाध्य या अधिकृत है

साक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए कानून। धारा 191 साक्ष्य से संबंधित है -

शपथ और एस। 192 झूठे सबूत गढ़ने के साथ। अगर हम विचार करें

एस के दृष्टिकोण से यह मामला। 191 , भारतीय दंड संहिता

अपराध का गठन गलत शपथ लेने से किया जाता है जब कोई व्यक्ति उससे बंधा होता है।

शपथ के तहत। गलत साक्ष्य देने के अपराध की परिभाषा इस प्रकार शपथपत्रों पर लागू होता है। अपराध एस के अंतर्गत भी आ सकता है।

192. यह अन्य बातों के साथ-साथ यह बताता है कि एक व्यक्ति को झूठा गढ़ने के लिए कहा जाता है।

सबूत अगर वह गलत बयान वाला दस्तावेज़ बनाता है यह इरादा रखते हुए कि इस तरह का झूठा बयान सबूत में दिखाई दे सकता है

न्यायिक कार्यवाही और इसलिए साक्ष्य में उपस्थित होने से कोई कारण हो सकता है

व्यक्ति जो ऐसी कार्यवाही में इस पर एक राय बनाना है -

साक्ष्य, किसी भी बिंदु को छूते हुए गलत राय को ध्यान में रखने के लिए

ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए सामग्री। जब बबन सिंह और

धारिचनकुएर ने अपने हलफनामों में घोषणाएं कीं जो [2020] 10 एस. सी. आर. थीं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के लिए प्रस्तुत किया गया, वे

बयानों को न्यायिक अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा

कार्यवाही करना, और इस प्रकार उपस्थित होना, अदालत को समझौते के संबंध में एक गलत राय देने के लिए प्रेरित करना। इस तरह से उनके अपराध एसएस के शब्दों के भीतर आया। 191/192 एस के बजाय। 199 भारतीय दंड संहिता। इस प्रकार वे प्रथम दृष्टया दोषी थे

मिथ्या साक्ष्य देने या न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का अपराध।

धारा 479-ए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करती है जो उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो दीवानी, राजस्व या आपराधिक के समक्ष गवाह के रूप में उपस्थित होते हैं।

अदालतें और दो चीजों में से एक करें: (i) न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में जानबूझकर गलत साक्ष्य देना या (ii) न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत साक्ष्य गढ़ना। पहला धारा के तहत अपराध को संदर्भित करता है।

191/193 और दूसरा भारतीय दंड संहिता के 192/193 के तहत। ऐसे अपराधों के संबंध में जब एक गवाह द्वारा किया जाता है, तो एस के तहत कार्रवाई की जाती है। 479 - ए को अकेले लिया जा सकता है। याचिकाकर्ता थे

उच्च न्यायालय में जाँच में गवाह और उन्होंने झूठे सबूत बनाए थे। यदि उनके खिलाफ कोई अभियोजन शुरू किया जाना था तो उच्च न्यायालय को एस के तहत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। 479 - दंड प्रक्रिया संहिता का ए। ऐसा न करने पर,

दंड प्रक्रिया संहिता की S.476 के तहत कार्रवाई उप-धाराओं के कारण खुली नहीं थी। (6) एस. 479 - ए और अपील के तहत आदेश को खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

17. कमला प्रसाद सिंह बनाम। हरि नाथ सिंह (1967) 3 एस. सी. आर. न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या न्यायिक संपादन में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज़ में गलत प्रविष्टि का राष्ट्रीयकरण धारा 192 के तहत अपराध साबित होगा, या क्या यह आई. पी. सी. की धारा 218 के तहत अपराध साबित होगा, जिसमें एक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई होगी। धाराओं के तहत दायर शिकायतों की विशिष्ट विशेषताओं के साथ

आई. पी. सी. की धारा 193 में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया (पृष्ठ 829-830 पर):

" पहला सवाल यह है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 218 की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। धारा 193 न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में गलत साक्ष्य देने या न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने के उद्देश्य से गलत साक्ष्य गढ़ने के लिए सजा का उल्लेख करती है। धारा 191 परिभाषित करती है -

गलत साक्ष्य देने का अपराध और धारा 192 मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. का अपराध।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

झूठे सबूत गढ़ना। हम धारा 191 की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्वीकार किया जाता है कि दंड संहिता में परिभाषित किए गए झूठे साक्ष्य नहीं दिए गए हैं। गलत साक्ष्य गढ़ने का अपराध तब अस्तित्व में आता है जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति का कारण बनता है या किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई गलत प्रविष्टि करता है या कोई गलत साक्ष्य बनाता है।

दस्तावेज़ जिसमें एक गलत कथन है जिसका उद्देश्य है कि

न्यायिक कार्यवाही आदि में साक्ष्य में परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत कथन दिखाई दे सकता है और इसलिए उपस्थित होने से ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए एक बिंदु सामग्री को छूते हुए एक गलत राय बनाई जा सकती है। अपराध एक सामान्य अपराध है और निर्दिष्ट नहीं करता है। व्यक्ति या दस्तावेज़ का प्रकार। यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है और मनगढ़ंत साक्ष्य किसी भी रूप में हो सकता है। दूसरी ओर धारा 218 किसी लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को बचाने या घायल करने के उद्देश्य से जानबूझकर गलत रिकॉर्ड तैयार करने से संबंधित है।

संपत्ति। दोनों खंडों के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य है। धारा 192 न्यायिक कार्यवाही से संबंधित है और झूठे साक्ष्य का न्यायिक कार्यवाही में उपयोग करने का इरादा है। धारा 218 लोक सेवकों से संबंधित है और इसका सार किसी व्यक्ति या संपत्ति को बचाने या घायल करने की दृष्टि से जानबूझकर गलत रिकॉर्ड तैयार करना है। इसका न्यायिक कार्यवाही से संबंध होने की आवश्यकता नहीं है।

18. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि एक अहलमद द्वारा किया गया कथित अपराध आई. पी. सी. की धारा 218 के तहत नहीं बल्कि धारा 192 के तहत आता है,

टी ने तब अवलोकन किया (पृष्ठों पर 830-831):

" इससे यह प्रतीत होगा कि द्वारा किया गया कथित अपराध

अहलमद स्पष्ट रूप से न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में था। वास्तव में उन्होंने वास्तव में अदालत में एक मामले के बारे में इस इरादे से गलत प्रविष्टि की कि कार्यवाही शुरू होने की तारीख

इसे 9 नवंबर, 1962 माना जा सकता है, हालांकि यह मामला 4 दिसंबर, 1962 के बाद शुरू किया गया था। उसका अपराध (यदि उसके खिलाफ कोई साबित होता है) धारा 192 के अंतर्गत आएगा। अनुभाग

192 न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले झूठे साक्ष्य के मनगढ़ंत निर्माण से संबंधित है ताकि किसी भौतिक बिंदु पर गलत राय बनाई जा सके। इसलिए धारा 192 में अहलमाद के खिलाफ मामले को पूरी तरह से शामिल किया गया है और इसमें कथित रूप से उकसाने वाले हरि नाथ सिंह के मामले को शामिल किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 218 इस मामले में लागू नहीं होती है, क्योंकि रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को बचाने या घायल करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था। धारा [2020] 10 एस. सी. आर. का अपराध।

192 भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय है और बाद की धारा इन धाराओं में से एक है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) में उल्लिखित, जिसका सार ऊपर दिया गया है। इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय सही था कि न्यायालय अहलमाद और उसके उकसाने वाले के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता था, क्योंकि अपराध एक ऐसे मामले में झूठे साक्ष्य का निर्माण था जो वास्तव में लंबित था और गलत प्रविष्टि इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि एक भौतिक बिंदु पर गलत राय बनाई जाए। ऐसा मामला केवल उस अदालत द्वारा स्थापित किया जा सकता है जिसमें या जिसके संबंध में यह अपराध किया गया था और

इसलिए शिकायत अक्षम थी।

19. इस स्तर पर अंतर को समझना महत्वपूर्ण है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) और धारा 195 (1) (बी) (आई) में उल्लिखित अपराधों के बीच। जहाँ शिकायत में उल्लिखित तथ्य आई. पी. सी. की धारा 191 से 193 के प्रावधानों को आकर्षित करते हैं, धारा

किसी न्यायालय में किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किया गया हो। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इन धाराओं के तहत दंडनीय अपराध केवल किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के संबंध में किया गया अपराध भी हो सकता है।

20. "के संबंध में" शब्द कई निर्णयों में न्यायिक चर्चा का विषय रहे हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान में, ऐसे दो निर्णयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य वक्फ बोर्ड में, मद्रास बनाम. अब्दुल अज़ीज़ साहिब और ओआरएस। , एयर 1968 मैड। 79 , अभिव्यक्ति

" वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 57 (1) से संबंधित मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। उच्च न्यायालय ने कहाः

" 8. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विद्वान न्यायाधीश (न्यायमूर्ति कैलासम) का विचार सही था कि दूसरे मुकदमे की भी व्याख्या धारा 57 (1) में प्रयुक्त शब्दों के दायरे में की जानी चाहिए, अर्थात् "वक्फ संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित प्रत्येक मुकदमे या कार्यवाही में"। इस दृष्टिकोण के लिए पर्याप्त न्यायिक प्राधिकरण है कि

"संबंधित" या "संबंध में" के रूप में शब्द हैं

व्यापकता जिसका संदर्भ के आधार पर प्रत्यक्ष महत्व होने के साथ-साथ अप्रत्यक्ष महत्व भी हो सकता है। वे प्रतिबंधात्मक सामग्री के शब्द नहीं हैं और ऐसा मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. नहीं होना चाहिए।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समझा जाता है। यह मामला एक से अधिक मामलों में न्यायिक निर्णय के लिए सामने आया है। कम्पैग्नी फाइनेंसिक डे पैसिफिक बनाम में मामला। पेरूवियन गुआनो कंपनी, इस विशेष पहलू पर बहुत रुचि रखती है और ब्रेट, एल. जे. का निर्णय, "कार्रवाई में प्रश्नगत किसी भी मामले के लिए सामग्री" वाक्यांश के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 1875 के ओ. 31, आर. 12 की व्याख्या की व्याख्या करता है। ब्रेट, एल. जे., ने देखा कि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों परिणामों में और विद्वानों के अनुसार हो सकता है।

परीक्षण का न्याय यह था (पृष्ठ 63 पर):

" ..... एक दस्तावेज़ को उचित रूप से ऐसी जानकारी के रूप में कहा जा सकता है जो शपथ पत्र की आवश्यकता वाले पक्ष को या तो अपने मामले को आगे बढ़ाने या अपने विरोधी के मामले को नुकसान पहुंचाने में सक्षम बना सकता है यदि यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो उसे निष्पक्ष रूप से जांच के लिए प्रेरित कर सकता है, जो हो सकता है

इनमें से कोई भी परिणाम।

9999

21. इसी तरह, मनसुखलाल धनराज जैन और ओआरएस में। आदि. वी.

विट्ठल ओगले आदि, (1995) 2 एस. सी. सी. 665, अभिव्यक्ति "वसूली से संबंधित एक लाइसेंसर और लाइसेंसधारक के बीच मुकदमे की कार्यवाही।

प्रेसीडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट 1882 की धारा 41 (1) के तहत सत्र इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। न्यायालय ने कहाः

" 14 ..... 'संबंधित' शब्द व्यापक महत्व के हैं और अपना सकते हैं।

वे किसी भी मुकदमे को स्वीप करते हैं जिसमें शिकायत की जाती है प्रतिवादी वादी-लाइसेंसधारी से अवैध रूप से कब्जा वसूल करने की धमकी दे रहा है। की ओर से कथित अवैध प्रयासों के खिलाफ अचल संपत्ति के ऐसे कब्जे की रक्षा के लिए वाद

वादी से इस तरह के कब्जे को जबरन वसूल करने के लिए प्रतिवादी, धारा 41 (1) द्वारा नियोजित "कब्जे की वसूली से संबंधित" शब्दों के व्यापक विस्तार से स्पष्ट रूप से कवर हो सकता है।

XXX XXXXX

16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 41 (1) में पाया गया वाक्यांश "कब्जे की वसूली से संबंधित" प्रकृति में व्यापक है और इसमें सभी प्रकार के मुकदमे और कार्यवाही शामिल हैं जो लाइसेंसधारी से सूट संपत्ति के कब्जे की वसूली से संबंधित हैं और इसलिए, मुकदमे। प्रतिवादी को लाइसेंसधारी से इस तरह के कब्जे की जबरन वसूली करने से रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए-वादी को उक्त वाक्यांश के व्यापक विस्तार से कवर किया जाएगा। नतीजतन, [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत मैदानों में कथनों के आलोक में।

विचार और उसमें मांगी गई प्रार्थनाएँ, स्पष्ट रूप से

धारा 41 (1) की भाषा में, निष्कर्ष अपरिहार्य है कि ये

मुकदमे लघु कारण न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हो सकते हैं,

बॉम्बे और सिटी सिविल कोर्ट के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

इस तरह के सूट का मनोरंजन करें "।

22. धारा 195 (1) (बी) (आई), धारा 195 (1) (बी) (आई) के विपरीत

सी. आर. पी. सी. धारा 463 में वर्णित अपराधों की बात करता है, और आई. पी. सी. की धारा 471,475 या 476 के तहत दंडनीय है, जब ऐसे अपराधों को किसी भी अदालत में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में किया गया है। किस बात से स्पष्ट होता है

धारा 195 (1) (बी) (ii) में इसकी अनुपस्थिति "या उसके संबंध में" शब्द हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यदि धारा 195 (1) (बी) (ii) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, तो कथित अपराध को किया जाना चाहिए। एक ऐसे दस्तावेज़ का संबंध जो कानूनी रूप से वैध है, और एक अपराध नहीं है जो दस्तावेज़ को अदालत की कार्यवाही में पेश किए जाने से पहले हुआ हो। वास्तव में, यह वह अंतर है जो अपीलार्थी के मामले के आधार को समझने में महत्वपूर्ण है, अर्थात् इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय।

23. इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) मामले में, 5-न्यायाधीशों की पीठ थी

इस न्यायालय के निर्णयों के बीच टकराव को देखते हुए निम्नलिखित रूप में गठित किया गया हैः

" 2. इसके दो निर्णयों के बीच मतभेद को देखते हुए न्यायालय, प्रत्येक सुरजित में तीन विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया

सिंह बनाम। बलबीर सिंह [(1996) 3 एस. सी. सी. 533] और सचीदा नंद

सिंह बनाम। बिहार राज्य [(1998) 2 एस. सी. सी. 493]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 (1) (बी) (ii) की व्याख्या (संक्षेप में "सी. आर. पी. सी".), यह अपील रखी गई है।

वर्तमान पीठ के समक्ष "।

24. न्यायालय ने सबसे पहले धारा 195 की व्यापक योजना के बारे में बात की

दंड प्रक्रिया संहिता, जो अपराधों की तीन अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित है, और अभिनिर्धारित किया कि धारा 195 (1) (ख) (ii) में निहित अपराधों की श्रेणी को धारा 195 (1) (क) और 195 (1)

(ख) (i) में निहित अपराधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से ऐसे अपराध हैं जो दोनों में से किसी एक को सीधे प्रभावित करते हैं।

लोक सेवक या न्यायालयों का कार्य या कर्तव्यों का निर्वहन। निर्णय के पैराग्राफ 10 में इस प्रकार कहा गया थाः

> " 10. वैधानिक प्रावधान की योजना की अब जांच की जा सकती है।
>
> मोटे तौर पर, धारा 195 सीआरपीसी तीन अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित है -
>
> खंड (ए), (बी) (आई) और मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. में वर्णित अपराध।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख) (ii) और वे (1) लोक सेवकों के वैध अधिकार की अवमानना, (2) लोक न्याय के खिलाफ अपराध, और (3) अपराधों से संबंधित हैं।

साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित। खंड (ए) से संबंधित है -

आई. पी. सी. की धारा 172 से 188 के तहत दंडनीय अपराध जो होते हैं।

आई. पी. सी. के दसवें अध्याय में और अध्याय का शीर्षक है -

लोक सेवकों के वैध प्राधिकरण का अपमान "। ये ऐसे अपराध हैं जो सीधे तौर पर कार्य या निर्वहन को प्रभावित करते हैं

लोक सेवक के विधिसम्मत कर्तव्य। खंड (ख) (i) आई. पी. सी. के 11 वें अध्याय में अपराधों को संदर्भित करता है जिसका शीर्षक है-"गलत साक्ष्य का।

और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध "। उल्लिखित अपराध

इस खंड में स्पष्ट रूप से गलत साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित है।

या किसी न्यायिक कार्यवाही में या उससे पहले गलत घोषणा करना

न्याय की अदालत या किसी लोक सेवक के समक्ष जो बाध्य है या

ऐसी घोषणा प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा अधिकृत, और कुछ लोगों को भी अन्य अपराध जिनका कार्यवाही के साथ सीधा संबंध है

न्याय की अदालत में (आई. पी. सी. की धारा 205 और 211)। यह वह है

अपराध ऐसा होना चाहिए जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हो या जो लोक सेवक के वैध कर्तव्यों का संचालन या निर्वहन या

अभिव्यक्ति "जब इस तरह के अपराध का आरोप लगाया गया है प्रस्तुत या साक्ष्य में दिए गए दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिबद्ध

खंड (ख) (ii) में आने वाली किसी भी अदालत की कार्यवाही में

आम तौर पर दस्तावेज़ के बाद इस तरह के अपराध का अर्थ है

वास्तव में अदालत में पेश किया गया है या साक्ष्य में दिया गया है। द.

स्थिति या आकस्मिकता जहाँ कोई अपराध जैसा कि इसमें गिना गया है

खंड पहले से ही पहले और बाद में किया गया है

दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाता है या अदालत में साक्ष्य में दिया जाता है, नहीं खंड (ए) (आई) और (बी) (आई) के अनुरूप प्रतीत होता है और परिणामस्वरूप

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की योजना के साथ। यह इंगित करता है कि खंड (ख) (ii) ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां अपराधों की गणना की गई हो।

इसके बाद के दस्तावेज़ के संबंध में प्रतिबद्ध हैं

किसी न्यायालय में कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करना या देना।

25. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXVI का अध्याय शीर्षक, जो

इन धारा 340 और 341 को तब शीर्षक पढ़ने के लिए संदर्भित किया गया था

न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में दृष्टिकोण ", जो

न्यायालय को दिए गए निर्देश ने यह भी संकेत दिया कि इसमें उल्लिखित अपराध

इन 195 (1) (बी) (ii) ऐसे अपराध हैं जो प्रशासन [2020] 10 एस. सी. आर. को सीधे प्रभावित करते हैं।

न्याय की। विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 195 (1) (सी) और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 (1) (बी) (ii) के बीच के अंतर को निम्नानुसार समझायाः

" 19. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पुरानी संहिता की धारा 195 (1) (सी) में आने वाले "किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए एक पक्ष द्वारा" शब्दों को धारा 195 (1) (बी) (ii) सीआरपीसी में हटा दिया गया है। आपराधिक संहिता के संबंधित प्रावधान में इन शब्दों को क्यों हटा दिया गया था

प्रक्रिया, 1973 41 वीं रिपोर्ट से स्पष्ट होगी।

विधि आयोग जिसने पैरा 15.39 में कहा हैः
" 15.39 . इस धारा का उद्देश्य निजी अभियोजनों को रोकना है जहां न्याय के मार्ग को विकृत करने की कोशिश की जाती है और अदालत को अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा कोई कारण नहीं है कि खंड (ग) में दिया गया संरक्षण गवाहों द्वारा किए गए अपराधों पर भी लागू नहीं होना चाहिए। गवाहों को परेशान करने वाले अभियोजनों के खिलाफ पक्षकारों की तरह ही सुरक्षा की आवश्यकता होती है और अदालत का न्यायिक कार्यवाही के एक घटक के रूप में प्रवेश करने वाले गवाहों के कृत्यों पर उतना ही नियंत्रण होना चाहिए जितना कि पक्षकारों के कृत्यों पर। यदि, इसलिए, खंड (ग) के प्रावधान गवाहों तक विस्तारित किए जाते हैं, तो विस्तार व्यापक सिद्धांत के अनुरूप होगा जो

यह धारा 195 का आधार है।

20. चूंकि पुरानी संहिता की धारा 195 (1) (सी) में आने वाले "किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए एक पक्ष द्वारा" शब्दों को हटाने का उद्देश्य गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए व्याख्या पहले के
निर्णयों में उक्त प्रावधान पर रखा गया तब भी कायम रहेगा

अच्छा है "।

26. महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने तब कहा कि सीआरपीसी की धारा 195

यह उसकी धारा 190 में निहित सामान्य प्रावधान के लिए एक अपवाद है, और धारा 195 के तहत गिने गए कुछ प्रकार के अपराधों का संज्ञान लेने की न्यायालय की शक्ति पर एक प्रतिबंध बनाता है, जो आवश्यक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 में निहित अभ्यास का पालन करना चाहिए (पैराग्राफ 21 देखें)। इसके बाद न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण कारण दिया जाता है, जो यह है कि अदालत परिसर के बाहर जाली दस्तावेज बनाने और अदालत की कार्यवाही में पेश किए जाने से पहले पीड़ित, इस तरह की जालसाजी के पीड़ित को उपचार से वंचित कर देगा, जिसमें यह अन्यथा केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 में उल्लिखित अदालत पर छोड़ दिया जाएगा जो यह तय करता है कि ऐसी शिकायत के संबंध में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए या नहीं। इसलिए अनुच्छेद 23 में कहा गया हैः

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 23. सी. आर. पी. सी. की धारा 340 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए अदालत ने

आयोग के संबंध में शिकायत करने के लिए बाध्य नहीं है

धारा 195 (1) (बी) में निर्दिष्ट अपराध, जैसा कि धारा इन शब्दों द्वारा सशर्त है "अदालत की राय है कि यह न्याय के हित में समीचीन है"। इससे पता चलता है कि इस तरह का पाठ्यक्रम होगा

केवल तभी अपनाया जाता है जब न्याय के हित की आवश्यकता होती है और हर मामले में नहीं।

मामला। शिकायत दर्ज करने से पहले, अदालत एक निर्णय ले सकती है प्रारंभिक जाँच करें और इस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करें कि

न्याय के हित में समीचीन है कि जाँच की जानी चाहिए धारा 195 (1) (ख) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध में। इस समीचीनता का न्याय आम तौर पर न्यायालय द्वारा नहीं करके किया जाएगा।

इस प्रकार से प्रभावित व्यक्ति को लगी चोट का परिमाण जालसाजी या जाली दस्तावेज, लेकिन प्रभाव को ध्यान में रखते हुए या

प्रभाव, इस तरह के अपराध के प्रशासन पर है

न्याय। यह संभव है कि इस तरह के जाली दस्तावेज या जालसाजी से किसी व्यक्ति को इस अर्थ में बहुत गंभीर या पर्याप्त चोट लग सकती है कि वह उसे बहुत मूल्यवान संपत्ति या स्थिति से वंचित कर सकता है या

जैसे, लेकिन इस तरह के दस्तावेज़ सिर्फ सबूत का एक टुकड़ा हो सकता है

न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत या दिया जाता है, जहां विशाल साक्ष्य होता है। हो सकता है कि इसे जोड़ा गया हो और न्याय के प्रशासन की व्यापक अवधारणा पर इस तरह के साक्ष्य का प्रभाव न्यूनतम हो। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय न्याय के हित में शिकायत करना समीचीन नहीं समझ सकता है। का व्यापक दृष्टिकोण

खंड (ख) (ii), जैसा कि अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा प्रचार किया गया है,

पीड़ित को इस तरह की जालसाजी या जाली दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करेगा बिना उपचार के। कोई भी व्याख्या जो ऐसी स्थिति की ओर ले जाती है जहां अपराध के पीड़ित को उपचारहीन बना दिया जाता है, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

27. फैसले के पैराग्राफ 25 में तब उल्लेख किया गया है कि कैसे व्यापक रिटैशन जिसे सुरजीत सिंह (ऊपर) में स्वीकार किया गया था, वह खाने के दुरुपयोग में सक्षम होगा। न्यायालय द्वारा यह इस प्रकार रखा गया थाः

" 25. धारा 195 (1) (बी) (ii) की विस्तृत व्याख्या, जिसके द्वारा

उक्त प्रावधान द्वारा बनाई गई सीमा भी वहां काम करेगी जहां

जालसाजी के कार्य के बाद दस्तावेज़ को बाद में किया जाता है

अदालत में पेश किया गया, बहुत दुरुपयोग करने में सक्षम है। जैसा कि बताया गया है। सच्चिदानंद सिंह में [(1998) 2 एस. सी. सी. 493]

जाली दस्तावेज या जालसाजी का कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी दीवानी, आपराधिक या आपराधिक मामले में कार्यवाही शुरू करने का प्रबंधन कर सकता है।

राजस्व अदालत, या तो स्वयं या [2020] 10 एस. सी. आर. द्वारा स्थापित किसी व्यक्ति के माध्यम से।

उसे और बस उक्त कार्यवाही में दस्तावेज़ दाखिल करें। इस प्रकार वह किसी निजी पक्ष या पुलिस के कहने पर अभियोजन से तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक कि अदालत, जहां दस्तावेज़ दायर किया गया है, खुद शिकायत दर्ज करने का विकल्प नहीं चुनती है। मुकदमा लंबा हो सकता है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के वास्तविक मुकदमे में अनिश्चित काल तक की देरी हो सकती है। इस तरह की व्याख्या बड़े पैमाने पर समाज के हित के लिए अत्यधिक हानिकारक होगी।

28. न्यायालय ने तब अभिनिर्धारित किया कि जहां यह संभव है, व्याख्यात्मक रूप से

कहने के लिए, एक अव्यवहारिक परिणाम से बचा जाना चाहिए (पैराग्राफ 26 और 27 देखें)। न्यायालय, जो एक जाली वसीयत पर विचार कर रहा था, जिसे जाली होने के बाद अदालती कार्यवाही में पेश किया गया था, इसलिए निष्कर्ष निकालाः

" 33. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि सच्चिदानंद सिंह [(1998) 2 एस. सी. सी. 493] का सही निर्णय लिया गया है और उसमें लिया गया दृष्टिकोण सही है। धारा 195 (1) (बी) (ii) दंड प्रक्रिया संहिता केवल तभी लागू होगी जब अपराध

उक्त प्रावधान में उल्लिखित के साथ प्रतिबद्ध किया गया है

किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत किए जाने या साक्ष्य के रूप में दिए जाने के बाद किसी दस्तावेज के संबंध में, अर्थात उस समय के दौरान जब दस्तावेज़ कस्टोडिया लेजिस में था।

34. वर्तमान मामले में, वसीयत को बाद में अदालत में पेश किया गया है। यह किसी का मामला नहीं है कि कोई भी अपराध जैसा कि गणना की गई है धारा 195 (1) (बी) (ii) में उक्त वसीयत को जिला न्यायाधीश के न्यायालय में पेश या दायर किए जाने के बाद उसके संबंध में प्रतिबद्ध किया गया था।

इसलिए, धारा 195 (1) (बी) (2) सी. आर. पी. सी. द्वारा बनाई गई रोक लागू नहीं होगी और दंड प्रक्रिया संहिता की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

न्यायालय के आधार पर अपराध का संज्ञान लेना उत्तरदाताओं द्वारा दायर शिकायत। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण पूरी तरह से सही है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करने की आवश्यकता है।

29. इस प्रकार, इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) इस प्रस्ताव के लिए स्पष्ट प्राधिकारी हैं कि जो मामले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (ii) के तहत आते हैं, वह दस्तावेज़ जिसे जाली बताया गया है, वह न्यायिक हिरासत में होना चाहिए जिसके बाद जालसाजी होती है। यह कि बाद के कई निर्णयों में इस निर्णय का पालन किया गया है, संदेह से परे है-महेश चंद शर्मा बनाम देखें। यू. पी. और अन्य का राज्य। (2009) 15 एस. सी. सी. 519 (अनुच्छेद 21-23 पर); सी. पी. सुभाष बनाम पुलिस निरीक्षक, चेन्नई और अन्य। (2013) 11 एस. सी. सी. 559 (पैराग्राफ 12 और 13 पर); किशोरभाई एम/एस बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

गंडुभाई पेथानी बनाम। गुजरात राज्य और अन्न। (2014) 13 एस. सी. सी. 539 (पैराग्राफ 14 और 15 पर) और विष्णु चंद्रु गांवकर बनाम। एनएम.

देसाई (2018) 5 एस. सी. सी. 422 (पैराग्राफ 14 और 17 पर)।

सी. आर. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (ii) में उल्लिखित है। दूसरा, इस प्रस्ताव के लिए प्रत्यक्ष अधिकार है कि इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में अनुपात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) द्वारा शासित मामलों में इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है।

31. इस प्रकार, कैलाश मंगल बनाम। रमेश चंद (2015) 15 एस. सी. सी. 729, इस न्यायालय को एक निजी शिकायत पर शुरू किए गए मामले में आई. पी. सी. की धारा 193 और 419 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि का सामना करना पड़ा।

इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) को तर्क के अग्रभाग में रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले के तथ्यों पर जो अपराध किया गया था, वह एक दस्तावेज के संबंध में किया गया था, इससे पहले कि यह न्यायिक हिरासत में हो। इस अदालत ने इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) को इस प्रकार प्रतिष्ठित कियाः

" 9. धारा के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बहाल करते हुए

193 आई. पी. सी., उच्च न्यायालय ने एक निर्णय पर भरोसा किया है

इकबाल सिंह मारवाह मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (2) के तहत उपबंधित संरक्षण केवल तभी आकर्षित होगा जब उक्त प्रावधानों में उल्लिखित अपराध किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया हो, जब उसे किसी भी अदालत में कार्यवाही में पेश किया गया हो या साक्ष्य के रूप में दिया गया हो। दस्तावेज़ कस्टोडिया लेजिस में था। जहां अदालत में दस्तावेज़ दायर करने से पहले जालसाजी की गई थी, वहां उच्च न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 467,468,471,472 और 477-ए के तहत अभियुक्त के अभियोजन को इस आधार पर रद्द करने में उचित नहीं ठहराया गया था कि शिकायत को धारा 195 (1) (बी) (ii) सी. आर. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा वर्जित किया गया था। धारा 195 (1) (बी) (ii) दंड प्रक्रिया संहिता तभी लागू होगी जब प्रावधान में उल्लिखित अपराध किए गए हों।

[2020] 10 एस. सी. आर. में प्रस्तुत या दिए जाने के बाद किसी दस्तावेज़ के संबंध में।

किसी भी न्यायालय में कार्यवाही में साक्ष्य अर्थात उस समय के दौरान जब दस्तावेज़ कस्टोडिया लेजिस में था।

10. तत्काल मामले में, झूठे हलफनामे का आरोप लगाया गया है

अपीलार्थी द्वारा दायर की गई कार्यवाही सिविल के समक्ष लंबित थी अदालत और अपराध आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत आता है और

लिखित शिकायत पर कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी।

उस अदालत द्वारा आई. पी. सी. की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत। चूँकि अपराध को किसी कार्यवाही के संबंध में या कार्यवाही में किया गया कहा जाता है

दीवानी अदालत, इकबाल सिंह मारवाह का मामला लागू नहीं होता है

तत्काल मामला "।

32. इसी तरह, नरेंद्र कुमार मामले में हाल के एक फैसले में

स्टावा वी। बिहार राज्य और ओआरएस। (2019) 3 एससीसी 318, न्यायालय

बाहर तैयार/जाली किए गए झूठे हलफनामों से चिंतित

हमारा। यह होने के कारण, न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न उठा वह था

मजिस्ट्रेट को किसी अपराध का संज्ञान लेने में न्यायसंगत ठहराया गया था

एक निजी आधार पर आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अक्षम

दागदार। इस न्यायालय ने कहाः

" 13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की उप-धारा (1) (बी) से यह स्पष्ट है कि

यह धारा अपराधों के दो अलग-अलग समूहों से संबंधित हैः

(i) धारा 193 से 196 (दोनों) के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का। सम्मिलित), 199,200,205 से 211 (दोनों सम्मिलित) और 228 आई. पी. सी., जब

ऐसा अपराध कथित रूप से या उसके संबंध में किया गया है।

किसी भी न्यायालय में किसी भी कार्यवाही के लिए; [धारा 195 (1) (बी) (आई)] ((ii) धारा 463 में वर्णित किसी भी अपराध का, या इसके तहत दंडनीय

आई. पी. सी. की धारा 471, धारा 475 या धारा 476, जब ऐसा अपराध हो। एक दस्तावेज़ के संबंध में कथित रूप से किया गया है

किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिया गया। [अनुभाग

195 (1) (ख) (ii)]।

14. इन खंडों को पढ़ने पर यह आसानी से देखा जा सकता है कि

धारा 195 (1) (बी) (आई) और धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत अपराध हैं:

स्पष्ट रूप से अलग। अपराधों की पहली श्रेणी अपराधों को संदर्भित करती है। झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराध, जबकि,

अपराधों की दूसरी श्रेणी अपराधों से संबंधित है -

किसी कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य के रूप में दिया गया दस्तावेज़ अदालत।

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. सी. आर. पी. सी. की धारा 195 अदालत द्वारा पालन किए जाने वाले एक नियम को निर्धारित करती है जो उसमें निर्दिष्ट अपराध का संज्ञान लेता है, लेकिन इसमें अदालत के मार्गदर्शन के लिए कोई निर्देश नहीं है जो बाद के अदालत में या उसके संबंध में किए गए कथित अपराध के संबंध में अभियोजन शुरू करना चाहता है। उस उद्देश्य के लिए, किसी को धारा 340 की ओर रुख करना चाहिए, जिसमें कानून को गति देने की इच्छा रखने वाले न्यायालय से या तो स्वतः संज्ञान या उस ओर से की गई शिकायत को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है। XXX XXXXX

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 यह स्पष्ट करती है कि इस धारा के तहत अभियोजन केवल उस अदालत की मंजूरी से शुरू किया जा सकता है जिसकी कार्यवाही के तहत धारा 195 (1) (बी) में निर्दिष्ट अपराध कथित रूप से किया गया है। इस धारा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने वाला कोई अपराध प्रस्तुत या दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में किया गया है।

उस समय के दौरान जब दस्तावेज़ या साक्ष्य न्यायिक हिरासत में था और क्या ऐसी कार्रवाई करना न्याय के हित में भी समीचीन है। अदालत न केवल प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करेगी बल्कि यह भी देखेगी कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना जनहित में है या नहीं।

22. सच्चिदानंद सिंह [(1998) 2 एस. सी. सी. 493] में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया, यह न्यायालय इस सवाल पर विचार कर रहा था कि क्या धारा 195 (1) (बी) (ii) सी. आर. पी. सी. में निहित बाधा उस मामले में लागू होती है जहां दस्तावेज़ की जालसाजी थी। दस्तावेज़ को अदालत में पेश करने से पहले प्रतिबद्ध किया गया था। यह आयोजित किया गया थाः (एससीसी पीपी। 497 & 501 , पैरा 6 और 23)

" 6. खंड के पढ़ने से वहां उल्लिखित बार के संचालन के लिए दो मुख्य अभिधारणाओं का पता चलता है। सबसे पहले, वहाँ होना चाहिए

आरोप है कि कोई अपराध (यह या तो धारा 463 में वर्णित अपराध होना चाहिए या धारा [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत दंडनीय कोई अन्य अपराध होना चाहिए।

471 , 475 और 476 आई. पी. सी.) किया गया है। दूसरा यह है कि

दस्तावेज़ के संबंध में अपराध किया जाना चाहिए था

किसी न्यायालय में कार्यवाही में प्रस्तुत या साक्ष्य में दिया गया। हमारे सामने कोई विवाद नहीं है कि अगर जालसाजी की गई है तो

दस्तावेज़ अदालत की हिरासत में था, तब अभियोजन पक्ष कर सकता है

केवल उस न्यायालय द्वारा की गई शिकायत के साथ शुरू किया जाए। वहाँ है।

इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि यदि किसी दस्तावेज़ के साथ जालसाजी की गई थी

जिसे अदालत में पेश नहीं किया गया है, तब अभियोजन किसी भी व्यक्ति के कहने पर होगा। यदि ऐसा है, तो क्या इसका उत्पादन एक

अदालत सब कुछ बदल देती है? ***

दस्तावेज़ अदालत में पेश किया गया था। तदनुसार हम इसे खारिज करते हैं। अपील करें "।

23. सच्चिदानंद सिंह के मामले में, इस न्यायालय ने धारा पर विचार किया था

195 (1) (ख) (ii) वर्तमान मामले के विपरीत सी. आर. पी. सी.

धारा का पूर्ववर्ती खंड। अपराधों की श्रेणी

जो धारा 195 (1) (बी) (आई) सी. आर. पी. सी. के तहत आती है, गलत सबूत देने के अपराध और सार्वजनिक न्याय के खिलाफ अपराधों को संदर्भित करती है जो धारा के तहत उन अपराधों से स्पष्ट रूप से अलग है

195 (1) (ख) (ii) सी. आर. पी. सी., जहां कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है कि क्या

जाली दस्तावेज बनाने का अपराध अदालत के बाहर किया गया था या जब वह न्यायालय की अभिरक्षा में था। इसलिए लिया गया यह फैसला

24. हाथ में मामला पूरी तरह से मामलों की श्रेणी में आता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (आई) के तहत आने वाला अपराध दंडनीय है।

आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत। इसलिए, मजिस्ट्रेट ने गलती की है

निजी शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान लेना। उच्च न्यायालय, हमारे विचार में, के आदेश को सही ढंग से दरकिनार कर दिया है

मजिस्ट्रेट। हालांकि, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और

मामले की परिस्थितियों में, हम इसे अलग रखना उचित समझते हैं उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए खर्च "।

33. उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब धारा

) (ख) (i) सी. आर. पी. सी. को आकर्षित किया जाता है, इकबाल सिंह मारवाह ए) का अनुपात, जिसने सचीदा नंद सिंह और अन्न को मंजूरी दी। वी.

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आर और एन. आर. (1998) 2 एस. सी. सी. 493, आकर्षित नहीं है, और इसलिए, यदि

धाराओं को आकर्षित करने वाले न्यायालय परिसर के बाहर साक्ष्य बनाए जाते हैं।

92 आई. पी. सी. के अनुसार, उपरोक्त अनुपात लागू नहीं होगा ताकि मान्य किया जा सके।

इन धाराओं के तहत किए गए अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई।

34. इस स्तर पर, दिनांकित शिकायतों की जांच करना महत्वपूर्ण है

8.2019 वर्तमान मामले में दायर किया गया। पहली शिकायत, बाहर निकलने के बाद

तथ्य स्पष्ट रूप से कहते हैंः

" 3. यह आवेदन धारा 340 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

" उक्त संहिता ") एक अपराध की जांच के आदेश की मांग करती है धारा 191 के प्रावधानों के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया और

193 भारतीय दंड संहिता, 1860। (इसके बाद "दंड" कहा जाता है।

संहिता ") इन प्रावधानों के तहत एक अपराध किया गया है।

बिचोलिम में वरिष्ठ प्रभाग के न्यायाधीश। सिविल सूट संख्या 7/2000 / ए, 8/2000/ए, 14/2000/ए, 21/2000/ए (पहले 4 सूट) और 1/2003/ए

(पाँचवाँ मुकदमा, जो पूरा होने के बाद वापस ले लिया जाता है

सबूत)। उपर्युक्त प्रावधानों के तहत एक अपराध भी है

उपरोक्त मुकदमों में दस्तावेजों के संबंध में प्रतिबद्ध जिसके लिए

अलग-अलग आपराधिक शिकायत दर्ज की जा रही है। जाली/हेरफेर किया गया

दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और उपरोक्त में साक्ष्य के रूप में दिए गए हैं।

कार्यवाही। उपरोक्त सभी मुकदमे/कार्यवाहियां इसके अंतर्गत आती हैं -

इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता।

35. शिकायत तब द्वारा दिए गए झूठे बयानों को संदर्भित करती है

अभियुक्त/अभियुक्त अपने लिखित बयानों और जवाबी दावों में पहले चार मुकदमे, जो न्यायालय के समक्ष अभिवचन हैं, और फिर

कहने के लिएः

" 14. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अभियुक्त संख्या 2 और

अभियुक्त संख्या 3 ने एक विषय पर घोषणा की है जिसे उन्होंने

कानून द्वारा बाध्य हैं और वास्तव में, बयान दिए हैं, जो हैं

जो झूठा है और जिसे दोनों अभियुक्त जानते हैं या मानते हैं कि गलत है या इसे सच नहीं मानता है, जो अभियुक्त पर भी लागू होता है

यहाँ संख्या 4 से 10 तक। अभियुक्त 2 ने झूठा सबूत दिया है। इसके अलावा, परिस्थितियाँ अभियुक्त 2 के कारण बनती हैं

किसी भी पुस्तक या अभिलेख में इस आशय की झूठी प्रविष्टियाँ

परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत बयान इसमें दिखाई देते हैं माननीय सिविल न्यायाधीश के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य

बिचोलिम में वरिष्ठ प्रभाग और इसलिए, गलत प्रविष्टि और [2020] 10 एस. सी. आर.

साक्ष्य में इस तरह से प्रकट होने वाले झूठे बयानों के कारण लोग साक्ष्य पर राय बनाने या परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूते हुए गलत राय रखने के लिए ऐसी कार्यवाहियां

ऐसी कार्यवाही "।

36. फिर मनगढ़ंत दस्तावेजों के विभिन्न विवरण दिए जाते हैं -

बनाम -

" च) सभी 5 मुकदमों में अभियुक्त ने कुछ मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए। ऐसे दस्तावेजों में से एक के बारे में एक टाइप किया गया बयान दिनांक 3.09.1998 है जिसका सामना शिकायतकर्ता गवाह को उसके क्रूस के दौरान किया गया था, एक ज़ेरॉक्स प्रति को पहले हस्तलिखित के साथ दिखाया गया था।

अभियुक्त के एक कर्मचारी की पृष्ठ 2 की टिप्पणी। जब उक्त गवाह ने अगली तारीख को उक्त ज़ेरॉक्स प्रति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, तो मूल टाइप किया गया बयान जिसमें कथित हस्तलिखित टिप्पणी फटी हुई/गायब थी, गवाह को दिखाया गया। जबकि स्वर्गीय वी. जी. क्वीनिम द्वारा पैरा 38 में पहले 4 मुकदमों में दायर किए गए सामान्य हलफनामे में कहा गया है: " मैं कहता हूं कि पहले पृष्ठ के फटे हिस्से में मेरे कार्यालय से केवल श्री प्रभु के आद्याक्षर थे। इसलिए पृष्ठ 2 के फटे हुए हिस्से में भी उस पर लिखे गए शब्दों को पिछले के साथ चेक किया गया था।

इसके अलावा, उक्त मुकदमों में अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य मनगढ़ंत दस्तावेज हैं जो निम्नलिखित विषय होंगे: शिकायतकर्ताओं द्वारा धारा 192 के तहत अलग से शिकायत दर्ज की जा रही है।

छ) खातों में हेरफेर किया गया था, उनकी लेखा पुस्तकों, लाभ और हानि खाते, तुलनपत्र आदि में गलत प्रविष्टियां की गई थीं। मुकदमा संख्या 7/2000/ए और 8/2000/ए में दायर किए गए प्रतिदावे

उपरोक्त बताए जाने के बावजूद शिकायत संख्या 1 और 2 के खिलाफ

मनगढ़ंत/हेरफेर को खराब ऋण के रूप में भी लिखा गया था जैसा कि उनकी लेखा परीक्षित लेखा पुस्तकों में 31.03.2000 पर लिखा गया था। ज) अभियुक्त नम्बर 1 ने दावा किया कि पारस्परिक, खुला और चालू खाता 09.03.2000 पर बंद किया गया था, जबकि अभियुक्त नम्बर 2 ने दावा किया कि समान पारस्परिक खुला और चालू खाता 09.03.2000 और 31.03.2000 पर बंद किया गया था, अर्थात दो अवसरों पर और अंत में इसमें अभियुक्त नम्बर 2 की प्रतिपरीक्षा के दौरान मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी.।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

37. इस शिकायत में की गई प्रार्थना इस प्रकार हैः " इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह सम्माननीय न्यायालय

कृपयाः

(ख) लिखित रूप में इसकी शिकायत करें; (ग) इसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजें;

(घ) अभियुक्त के सामने पेश होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा लें। ऐसे मजिस्ट्रेट, या यदि कथित अपराध गैर-जमानती है और

अदालत को ऐसा करना आवश्यक लगता है, आरोपी को हिरासत में भेजें

ऐसे मजिस्ट्रेट; और

(ई) किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने और उसके समक्ष साक्ष्य देने के लिए बाध्य करता है। मजिस्ट्रेट "।

38. जहाँ तक दूसरी शिकायत का संबंध है, जैसे कि पहली शिकायत

अन्यथा, इसे भी धारा 340 के तहत एक आवेदन कहा गया था।

सी. आर. पी. सी. के 195 के साथ निम्नानुसारः

" 3. यह आवेदन धारा 340 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

उक्त संहिता को संक्षिप्त करें) एक अपराध की जांच के आदेश की मांग करना धारा 192 के प्रावधानों के तहत अभियुक्त द्वारा किया गया और

193 भारतीय दंड संहिता, 1860। (इसके बाद "दंड" कहा जाता है।

संहिता ") इन प्रावधानों के तहत एक अपराध किया गया है।

न्यायालय में कार्यवाही के संबंध में अभियुक्त द्वारा

बिचोलिम में सिविल जज सीनियर डिवीजन यानी विशेष रूप से। सिविल सूट नं.

7 / 2000 / ए, 8/2000/ए, 14/2000/ए, 21/2000/ए (पहले 4 सूट) और स्प्ल.

दीवानी मुक़दमा सं. 1/2003/ए (पाँचवाँ मुक़दमा, जो वापस ले लिया गया है)

साक्ष्य के पूरा होने के बाद) उपरोक्त के तहत एक अपराध

उपरोक्त मुकदमों में दस्तावेजों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।

जिसके लिए एक अलग आपराधिक शिकायत दर्ज की जा रही है। जाली /

हेरफेर किए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं और साक्ष्य में दिए गए हैं

उपरोक्त कार्यवाहियों में। उपरोक्त सभी सूट अंदर हैं

इस माननीय न्यायालय की अधिकारिता।

a) रुपये के लिए 09.03.2000 दिनांकित एक जाली डेबिट नोट।

[2020] 10 एस. सी. आर. की आड़ में भेजे गए उससे जुड़े बयानों के साथ।

दिनांकित पत्र 09.03.2000। हेरिटो को एक्सहिबिट-सी कोली के रूप में चिह्नित किया गया है

उक्त दस्तावेजों की प्रति।

ख) उक्त डेबिट नोट दिनांकित 09.03.2000 रुपये के लिए। 1,88,27,796 / - ऊपर (क) अभियुक्त द्वारा शिकायतकर्ता सं. 1 के विरुद्ध दायर प्रतिदावे का विषय है। सिविल सूट संख्या 7/2000/ए जो डेबिट नोट मैनिपुलेटेड लेजर एक्सट्रैक्ट में परिलक्षित हो रहा है

एक्श में दिनांकित 10.03.2000 लिखित कथन के साथ संलग्न। ए.

जिसमें कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है और साक्ष्य के रूप में दिया जाता है

स्प्ल. सिविल सूट संख्या 1/2003/ए कौन सा दस्तावेज़ यहाँ एक्सहिबिट-एफ कोली में है। ग) Rs.76,19,869/के लिए जाली डेबिट नोट दिनांक 31.03.2000

दिनांकित 4.07.2000 पत्र के आवरण के तहत भेजे गए उससे जुड़े बयानों के साथ। हेरेटो को संलग्न और एक्सहिबिट के रूप में चिह्नित किया गया

-डी कोली उक्त दस्तावेजों की प्रति है।

घ) रुपये की राशि के लिए 31.03.2000 दिनांकित एक डेबिट नोट जाली बनाया।

29,081 / - दिनांकित उक्त पत्र की आड़ में भी भेजा गया

04.07.2000 . हेरिटो को एक्सहिबिट-डी कोली के रूप में चिह्नित किया गया है

ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) पर कुल रु. की राशि के लिए उक्त 2 डेबिट नोट। 76,48,950 / - यह शिकायतकर्ता संख्या 2 के खिलाफ अभियुक्त द्वारा दायर प्रतिदावे का विषय है। सिविल सूट संख्या 8/2000/ए, जिसे डेबिट नोट लिखित कथन के साथ संलग्न हेरफेर किए गए खाते के अर्क में प्रतिबिंबित कर रहे हैं और एक्सएच में 04.07.2000 दिनांकित प्रतिदावाः बी वहाँ, कौन सा दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाता है और एस. पी. में साक्ष्य में दिया जाता है। सिविल सूट नंबर 1/2003/ए जो दस्तावेज़ एक्सहिबिट-जे कॉली में है। इस शिकायत में, शिकायतकर्ता इस माननीय न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह एक प्रारंभिक जांच करे जो उसे उचित और आवश्यक लगे। यह माननीय न्यायालय (क) इस आशय के साक्ष्य का अभिलेख (ख) लिखित रूप में शिकायत करने के लिए (ग) और उसके बाद इसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय में भेजने के लिए भी प्रसन्न होगा।

अधिकारिता (घ) ऐसे आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय समझे

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए उपयुक्त और उचित

धारा 193 के प्रावधानों के तहत अभियुक्त को दंडित करने के लिए

और उक्त दंड संहिता की धारा 196 "। करती है /

39. फिर शिकायत विभिन्न झूठे हलफनामों को संदर्भित

अभियुक्त द्वारा बनाए गए घोंसले इस प्रकार हैं:

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" ऐसी परिस्थितियों में, उन्होंने सभी 5 मुकदमों में झूठे हलफनामों/बयानों पर विशेष होने की घोषणा की है। सिविल सूट संख्या 7/2000/ए, 8/2000/ए, 14/2000/ए, 21/2000/ए और 1/2003/ए क्रमशः। उन्होंने दस्तावेजों को भी गढ़ा है, अपनी लेखा पुस्तकों में गलत प्रविष्टियां की हैं।

एस. पी. एल. में अपने जवाबी दावे दायर करने के लिए। सिविल सूट संख्या 7/2000/ए और 8/2000/ए। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा बनाई गई झूठी प्रविष्टियाँ और मनगढ़ंत दस्तावेज इस प्रकार हैं:

(i) एक जाली डेबिट नोट दिनांक 09.03.2000 जिसमें विवरण संलग्न किए गए थे और लेजर खाते में हेरफेर किया और रुपये की राशि का दावा किया। 1,88,27,796 / - अपने जवाबी दावे में शिकायतकर्ता संख्या 1 से जो यहाँ एक्सहिबिट-सी कोली में हैं। ((ii) अभियुक्त द्वारा विशेष रूप से दायर किए गए 796/- रुपये के प्रतिदावे के आधार पर अभियुक्त संख्या 1 की लेखा परीक्षित बही में दिखाई देने वाले शिकायतकर्ता संख्या 1 के खाते का हेरफेर खाता उद्धरण। सिविल सूट सं. 7/2000/ए 'के रूप में संलग्न है। एक्सहिबिट-एफ कोली में दिनांकित लिखित कथन और प्रतिदावे के लिए 'ए'।

(v) शिकायतकर्ता संख्या 2 के खाते का हेरफेर किया गया लेजर उद्धरण जो कथित रूप से लेखा परीक्षित खातों में दिखाई देता है। अभियुक्त सं. 1, अभियुक्त द्वारा विशेष रूप से दायर 48,950/- की राशि के प्रतिदावे के आधार पर। सिविल सूट संख्या 8/2000/ए एक्सएच में संलग्न है। बी 'लिखित कथन और प्रतिवाद दिनांक 04.07.2000 पर एक्सहिबिट-जे. कोली में।

अभियुक्तों द्वारा अपनी लेखा, लाभ और हानि खाता, तुलनपत्र आदि की पुस्तकों में झूठी प्रविष्टियाँ की गई थीं। पाँचवें सूट में स्प्ल. दीवानी मुकदमा संख्या 1/2003/ए, अभियुक्त संख्या 2 ने [2020] 10 एस. सी. आर. की प्रति प्रस्तुत की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31 मार्च, 2000 को लेखापरीक्षित लाभ और हानि खाता और तुलनपत्र, उनके लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए अनुलग्नक, कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और कुछ सहायक खाता बही, जर्नल वाउचर आदि के साथ। , अभियुक्त सं. 1 के तत्कालीन स्वामी स्वर्गीय वी. जी. क्वीनिम द्वारा दावा किए गए अयस्क के सभी लेन-देनों के संबंध में। 5 में मुकदमा दावा

सूट स्प्ल है। सिविल मुक़दमा सं. 1/2003/ए के साथ-साथ एस. पी. एल. में दायर जवाबी दावे भी। शिकायतकर्ता संख्या 1 और 2 के खिलाफ दीवानी मुकदमा संख्या 7/2000/ए और 8/2000/ए न तो संबंधित शिकायतकर्ताओं के चालू खाते में डेबिट के लिए खड़े थे और न ही

इन्हें अभियुक्त संख्या 1 की लेखा पुस्तकों में अयस्क खाते की बिक्री के लिए जमा किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें लिखा गया है।

खाता "। 40. महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 11 में किया गया कथन

लेंट इस प्रकार है:

" 11. शिकायतकर्ता क्रॉस-परीक्षा और विभिन्न लेखा पुस्तकों की प्रमाणित प्रतियों को संदर्भित करने और उन पर भरोसा करने के लिए अनुमति चाहते हैं जिन्हें अभियुक्त द्वारा गलत प्रविष्टि करके हेरफेर किया गया है, जाली बनाया गया है। अभियुक्त का उद्देश्य प्रभावित करना है

41. नतीजतन, दूसरी शिकायत यह कहते हुए समाप्त होती है: " 15. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अभियुक्त संख्या 2 और अभियुक्त संख्या 3 दोनों ने एक ऐसे विषय पर घोषणा की है जो वे कानून द्वारा बाध्य हैं और वास्तव में, बयान दिए हैं, जो झूठे हैं और जिन्हें दोनों अभियुक्त जानते हैं या मानते हैं कि वे झूठे हैं या मानते हैं कि वे सच नहीं हैं, जो इसमें अभियुक्त संख्या 4 से 10 पर भी लागू होता है। अभियुक्त संख्या 2 ने झूठा सबूत दिया है। इसके अलावा, अभियुक्त 2 और 3 द्वारा किसी भी पुस्तक या अभिलेख में गलत प्रविष्टियां करने के लिए परिस्थितियां पैदा की जाती हैं, जिसका उद्देश्य यह है कि ऐसी परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या झूठे बयान बिचोलिम में माननीय सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ प्रभाग के समक्ष न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य में दिखाई देते हैं और इसलिए, साक्ष्य में इस तरह से दिखाई देने वाले गलत प्रविष्टि और झूठे बयानों ने ऐसी कार्यवाही में व्यक्तियों को साक्ष्य पर राय बनाने या ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूते हुए गलत राय रखने के लिए प्रेरित किया है।

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

पहले 4 मुकदमों में 20.07.2007 पर अभियुक्त संख्या 1। इसी तरह, 5 मुकदमे में आरोपी Nos.2 से 10 क्रमशः LR के रूप में शामिल हुए। उसमें।

17. अभियुक्त संख्या 2 से 10 तक के बुने हुए लोगों को Aug./Sept में उक्त 5 मुकदमों में रिकॉर्ड में लाया गया था। 2007 , उक्त अभियुक्त ने सभी संबंधित मुकदमों में अभिवचनों में झूठे बयानों को सही करने का कोई प्रयास भी नहीं किया है जो आज तक झूठ के साथ जारी है। इसके अलावा, अभियुक्त संख्या 2 और 3 सीधे तौर पर शामिल हैं। इस प्रकार इसमें अभियुक्त संख्या 2 से 10 तक मेसर्स के सह-स्वामी बन गए हैं। इसमें अभियुक्त संख्या 1 के मूल स्वामी स्वर्गीय वी. जी. क्विनिम की मृत्यु पर वी. जी. क्विनिम। 18. अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्तों के पास है। अपराध डब्ल्यू/एस किया। 192 भारतीय दंड संहिता और इसमें अभियुक्त धारा के प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं।

193 भारतीय दंड संहिता।

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह सम्माननीय है अदालत को यह करने की अनुमति दें:

(क) उस प्रभाव के लिए एक निष्कर्ष दर्ज करें;

(ख) लिखित रूप में इसकी शिकायत करें।

(ग) इसे अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को भेजें;

(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए पर्याप्त प्रतिभूति लें, या यदि कथित अपराध गैर-जमानती है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है, तो अभियुक्त को हिरासत में भेजें

ऐसे मजिस्ट्रेट; और

(ई) किसी भी व्यक्ति को पेश होने और साक्ष्य देने के लिए बाध्य करता है

मजिस्ट्रेट "।

42. उपरोक्त शिकायतों के अवलोकन से ऐसा कोई तरीका नहीं निकलता है कि पहली शिकायत पी. सी. की धारा 191 के प्रावधानों को आकर्षित करती है, और दूसरी शिकायत आई. पी. सी. की धारा 192 ई के प्रावधानों को आकर्षित करती है। तथापि, प्रत्यर्थियों द्वारा विद्वत न्यायाधीश के समक्ष दायर किए गए आवेदन के प्रति-शपथ पत्र में पहली बार अपीलकर्ताओं ने कहा:

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" II. उक्त आवेदन न केवल शिकायत और उसकी संगतताओं के अवलोकन के रूप में उत्तरदायी है/खारिज किया जाना चाहिए।

आई. पी. सी. की धारा 463,464,465,467,468,469,471,474,475 और 477-ए के तहत भी अपराध किए गए हैं।

अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तदनुसार।

XXX XXXXX

V.The ने कहा कि आवेदन खारिज किए जाने के योग्य है क्योंकि कानून दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (ii) में उत्कीर्ण बार से संबंधित ऐसे मामले में लागू नहीं होता है जहां जालसाजी की जाती है।

दस्तावेज़ के प्रतिबद्ध होने से पहले दस्तावेज़ था

अदालत में पेश किया गया। इस प्रकार, जिन दस्तावेजों की जालसाजी की गई है, वे न्यायिक हिरासत में नहीं थे। 43.
इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को महसूस करते हुए,

अपीलकर्ताओं ने अचानक रास्ता बदल दिया, और मजिस्ट्रेट को आवेदन दिनांक 09.05.2011 के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 340 के साथ पठित धारा 195 के तहत एक उचित रूप से तैयार किए गए आवेदन को एक निजी शिकायत में बदलने के लिए आवेदन किया। दोनों शिकायतों को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उनका मसौदा केवल आई. पी. सी. की धारा 191 और 192 के तत्वों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

अपीलकर्ताओं का अब यह कहना है कि चूंकि कुछ डेबिट नोट अदालत की कार्यवाही में पेश किए जाने से पहले जाली थे, इसलिए न केवल इकबाल सिंह मारवाह (ऊपर) में अनुपात लागू होगा, बल्कि यह भी कि आई. पी. सी. की "जालसाजी" धाराओं के तत्व अब तैयार कर लिए गए हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक मामलों में जहां आई. पी. सी. की धारा 463 में परिभाषित जालसाजी के तत्व बनाए गए हैं, और इसलिए, एक निजी शिकायतकर्ता को उपचार से वंचित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, फिर भी इस न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय में दी गई चेतावनी को ध्यान में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, बसीर-उल-हक और ओरस में। वी. पश्चिम बंगाल राज्य (1953) एस. सी. आर. 836, इस न्यायालय ने आगाह किया (पृष्ठ 846 पर):

" यद्यपि, हमारे निर्णय में, धारा 195 एक अभियुक्त व्यक्ति के मुकदमे को एक ही तथ्यों द्वारा प्रकट किए गए एक अलग अपराध के लिए प्रतिबंधित नहीं करती है और जो उस धारा के दायरे में शामिल नहीं है, यह भी ध्यान में रखना होगा कि उस धारा के प्रावधान नहीं कर सकते हैं।

उपकरणों या छलावरणों का सहारा लेकर बचना चाहिए। यह परीक्षा धारा की चोरी हुई है या नहीं, यह है कि क्या तथ्य मुख्य रूप से और अनिवार्य रूप से एक ऐसे अपराध का खुलासा करते हैं जिसके लिए शिकायत मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी.

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय या लोक सेवक की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, धारा के प्रावधानों को किसी व्यक्ति पर किसी ऐसे अपराध के लिए आरोप लगाने के उपकरण द्वारा टाला नहीं जा सकता है जिसके लिए वह धारा नहीं है।

आवेदन करें और फिर उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराएं जिसके लिए वह करता है, इस आधार पर कि ऐसा बाद वाला अपराध एक मामूली अपराध है

समान चरित्र, या अपराध को एक होने के रूप में वर्णित करके

भारतीय दंड संहिता की किसी अन्य धारा के तहत दंडनीय, हालांकि सच्चाई और सार में अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 में उल्लिखित धाराओं की श्रेणी में आता है।

केवल एक अपराध के लिबास या लेबल को बदलकर जो है

अनिवार्य रूप से ऐसे अपराध के लिए धारा 195 अभियोजन के प्रावधानों द्वारा कवर किए गए अपराध का संज्ञान नहीं लिया जा सकता है।

इसका गलत वर्णन करके या उस पर गलत लेबल लगाकर। "

44. समान रूप से यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि लेन-देन के दौरान दो अलग-अलग अपराध किए जाते हैं, जिनमें से एक के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 आकर्षित नहीं होती है, और इसे विभाजित करना संभव नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) का पालन किया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य में v. हेमरेड्डी (1981) 2 एस. सी. सी. 185, यहटी ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय (री. वी. वी. एल. सिम्मूर्ति ए. आई. आर. 1955 मैड 237) का उल्लेख किया और इसके अनुपात को निम्नानुसार मंजूरी दीः

" 7 ..... तीसरे मामले में, जे. सोमसुंदरम ने कहा हैः

" याचिकाकर्ता की ओर से श्री जयराम अय्यर जिस मुख्य बिंदु पर इस प्रतिबद्धता को रद्द करना चाहते हैं, वह यह है कि तथ्यों पर

आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध का खुलासा किया जाता है जिसके लिए अदालत अदालत द्वारा शिकायत के बिना संज्ञान नहीं ले सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) के तहत प्रदान किया गया। विचार के लिए पहला सवाल यह है कि क्या

शिकायत में उल्लिखित तथ्य, धारा के तहत एक अपराध

193 , आई. पी. सी. का खुलासा हुआ है। धारा 193 इस प्रकार हैः

जो कोई भी जानबूझकर किसी भी चरण में गलत सबूत देता है

न्यायिक कार्यवाही, या गलत सबूत गढ़ता है

न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में उपयोग किए जाने का उद्देश्य,

के लिए किसी भी विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा

एक अवधि जो 7 वर्ष तक बढ़ सकती है, और उत्तरदायी भी होगी।

ठीक करने के लिए।

' गलत साक्ष्य के निर्माण को धारा 192 में परिभाषित किया गया है। द.

इसका प्रासंगिक हिस्सा है:

जो कोई भी इस इरादे से किसी भी परिस्थिति का कारण बनता है कि ऐसी परिस्थिति न्यायिक कार्यवाही में साक्ष्य में दिखाई दे सकती है और ऐसी परिस्थिति किसी भी व्यक्ति का कारण बन सकती है जो ऐसी कार्यवाही साक्ष्य पर एक राय बनाने के लिए है ताकि ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए किसी भी बिंदु सामग्री को छूते हुए एक गलत राय को ध्यान में रखा जा सके।

द्वारा पसंद की गई शिकायत में आरोपों का प्रभाव

न्यायिक कार्यवाही में उपयोग किए जाने का उद्देश्य। कोई शक नहीं है। कि प्रकट किए गए तथ्य भी आई. पी. सी. की धारा 467 और 471 के तहत अपराध के बराबर होंगे। इस याचिकाकर्ता पर धारा 467 और 471 के तहत एक अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए, अदालत द्वारा एक शिकायत

धारा 195 (1) (बी) के तहत आवश्यक नहीं हो सकता है, आपराधिक पी. सी. ए शिकायत केवल तभी की जा सकती है जब यह किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए किसी पक्ष द्वारा की जाती है।

श्री जयराम अय्यर अपना तर्क नहीं छोड़ते हैं कि

याचिकाकर्ता, हालांकि वह केवल नाबालिग लड़की का अभिभावक प्रतीत होता है, फिर भी कार्यवाही में एक पक्ष है। लेकिन वर्तमान समय में इस प्रश्न में जाना अनावश्यक है और मैं इस प्रश्न पर अपनी राय सुरक्षित रखता हूं कि क्या अभिभावक किसी कार्यवाही में पक्षकार हो सकता है या नहीं, क्योंकि इस मामले का निपटारा दूसरे बिंदु पर किया जा सकता है। कि जब आरोप आई. पी. सी. की धारा 193 के तहत अपराध के बराबर होते हैं, तो आपराधिक पी. सी. की धारा 195 (1) (ए) के तहत अदालत की शिकायत आवश्यक है और इन पर मुकदमा चलाकर इससे बचा नहीं जा सकता है।

एक ऐसे अपराध के लिए अभियुक्त जिसके लिए अदालत की शिकायत नहीं है

8. हम विद्वान न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं और मानते हैं कि ऐसे मामलों में जहां एक ही लेन-देन के दौरान एक अपराध है जिसके लिए अदालत द्वारा कोई शिकायत आवश्यक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) और एक अपराध जिसके लिए उस मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. के तहत अदालत की शिकायत आवश्यक है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उप-धारा, प्रतिबद्ध हैं, तो इसे विभाजित करना और यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) में उल्लिखित अपराधों के लिए अभियुक्त के अभियोजन को बरकरार रखा जाना चाहिए।

45. इन चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए, आइए अब देखें कि क्या डेबिट नोटों की "जालसाजी" पर श्री मिश्रा ने इतनी दृढ़ता से भरोसा किया था आई. पी. सी. की धारा 463 और 464 के तहत अपराध होने के नाते, इन धाराओं के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए कहा जा सकता है।

उस खंड में बताए गए विभिन्न कार्यों को करें। जब तक कि किसी व्यक्ति को झूठा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं कहा जाता है, धारा 463 ऐसा करती है। बिलकुल भी आकर्षित न हों। "झूठा दस्तावेज़" बनाने के बाद IPC.On की धारा 464 में वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया जाता है, हम हैं

दस्तावेज़। इस न्यायालय के कई निर्णयों में कहा गया है कि बेईमानी या धोखाधड़ी मानते हुए, धारा 464 की "पहली" श्रेणी का दूसरा घटक यह है कि दस्तावेज़ स्वयं उस व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार द्वारा बनाया जाना चाहिए जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से जालसाजी करने वाला व्यक्ति जानता है कि यह नहीं बनाया गया था। यदि दूसरा घटक पाया जाता है अनुपस्थित, जालसाजी का अपराध बिल्कुल नहीं बनाया गया है। इस प्रकार, देवेंद्र बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2009) 7 एस. सी. सी. 495, इस न्यायालय ने निम्नलिखित तथ्यों को निर्धारित कियाः

" 5. आई. डी. 1 पर या उसके आसपास, अपीलकर्ता 1 और 2 द्वारा अपीलकर्ता 3 और 4 के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। <ID2 पर, प्रतिवादी 2 और अन्य लोगों द्वारा दिनांकित 22-8-1997 के बिक्री के उपरोक्त विलेख को रद्द करने के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसे 2005 के दीवानी मुकदमा संख्या 382 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमा अभी भी विद्वान [2020] 10 एस. सी. आर. के न्यायालय में लंबित है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन), गाजियाबाद। हालाँकि, उक्त मुकदमे में यह कहा गया था कि सोल्हू के चार बेटे थे, जबकि 1982 के मुक़दमा संख्या 135 में कहा गया था कि सोल्हू के पाँच बेटे थे। अपीलकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 9 नियम 13 के तहत गाजियाबाद के उप जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के न्यायालय में 1982 के मुकदमा संख्या 135 को खारिज करने का अनुरोध करते हुए एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थियों द्वारा सिविल विविध रिट याचिका सं.

17667 1985 से।

6. 21-9-2005 पर या उसके आसपास, प्रतिवादी 2 ने पुलिस स्टेशन कविनगर, गाजियाबाद में एक आवेदन दायर किया जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ने दिनांक 17-9-2005 के एक आदेश द्वारा सुनवाई का आदेश पारित किया।

शिकायतकर्ता और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। इसके बाद, प्रतिवादी 2 ने 21-9-2005 पर पुलिस स्टेशन साहनी गेट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। याचिकाकर्ताओं ने खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया

उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह था।

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 10568 के रूप में चिह्नित 2005. "

48. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि निष्पादित बिक्री विलेख आई. पी. सी. की धारा 464 के तहत निम्नलिखित दस्तावेज का गठन नहीं करता हैः

" 18. दंड संहिता की धारा 463 निम्नानुसार हैः

" 463. जालसाजी। जो कोई भी जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से कोई भी झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है।

व्यक्ति, या किसी भी दावे या स्वामित्व का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए, या किसी भी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या कि धोखाधड़ी हो सकती है

प्रतिबद्ध, जालसाजी करता है। "

श्री दास के अनुसार, स्वामित्व पर किसी भी दावे का समर्थन करने के लिए एक झूठा दस्तावेज बनाना उक्त प्रावधान के अर्थ के भीतर जालसाजी का गठन करेगा और चूंकि एक दस्तावेज अपीलार्थियों द्वारा संयुक्त संपत्ति में एक तिहाई हिस्सा दिखाने के उद्देश्य से बनाया गया था, हालांकि वे इसके लिए हकदार नहीं थे, उन्हें निम्नानुसार माना जाना चाहिए - एक अपराध किया है।

19. "जालसाजी" की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए किसी भी झूठे दस्तावेज़ को बनाना अनिवार्य है। गलत दस्तावेज़ बनाने के बराबर क्या होगा, यह उसकी धारा 464 में निर्दिष्ट किया गया है।

मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसलिए जो आवश्यक है वह यह है कि किसी दस्तावेज़ को इस इरादे से निष्पादित किया जाए कि यह विश्वास हो कि ऐसा दस्तावेज़ अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा बनाया गया था जिसके द्वारा या जिसके द्वारा किया गया था।

प्राधिकरण वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था।

20. अपीलार्थी संपत्ति के मालिक होते हैं। उनके पास है एक बिक्री विलेख निष्पादित किया। बिक्री विलेख के निष्पादन से इनकार नहीं किया जाता है। यदि कोई उक्त में किए गए झूठे दावों से व्यथित है

बिक्री विलेख, यह विक्रेता होंगे न कि सह-भागीदार। अपीलार्थियों पर कोई झूठा आरोप लगाने का आरोप नहीं लगाया गया है

दस्तावेज़ "।

49. मोहम्मद में। इब्राहिम बनाम। बिहार राज्य (2009) 8 एस. सी. सी. 751 में यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने नाम पर विक्रय विलेख का निष्पादन।

ऐसी संपत्ति जो उसकी नहीं है, आई. पी. सी. की धारा 464 के तहत "गलत धारणा" बनाना नहीं है, क्योंकि वह ऐसा नहीं करता है।मालिक से शिकायत करें या मालिक की ओर से विलेख निष्पादित करने के लिए अधिकृत या अधिकृत होने का झूठा दावा करें। अदालत ने

" 13. धारा 467 और 471 के तहत अपराध के लिए पूर्ववर्ती शर्त जालसाजी है। जालसाजी के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक गलत दस्तावेज़ (या गलत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या उसका हिस्सा) बनाना है। यह मामला किसी भी झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है। इसलिए, सवाल यह है कि क्या पहला आरोपी, दो बिक्री विलेखों को निष्पादित करने और पंजीकृत करने में, जो किसी संपत्ति को बेचने के लिए अभिप्रेत है (भले ही वह

यह मानते हुए कि यह उसका नहीं था), यह कहा जा सकता है कि उसने अन्य अभियुक्तों की मिलीभगत से झूठे दस्तावेज बनाए और उन्हें निष्पादित किया। 14. दंड संहिता की धारा 464 के विश्लेषण से पता चलता है कि यह झूठे दस्तावेजों को तीन श्रेणियों में विभाजित करता हैः

1. पहला वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी से या धोखाधड़ी से किसी दस्तावेज़ को बनाने या निष्पादित करने के इरादे से ऐसा करता है ऐसा माना जाता था कि ऐसा दस्तावेज़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार से बनाया या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह बनाया या निष्पादित नहीं किया गया था।

2. दूसरा वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज को अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाए जाने या निष्पादित किए जाने के बाद, वैध प्राधिकरण के बिना, किसी भी भौतिक भाग में बदल देता है।

3. तीसरा वह है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने या बदलने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि

ऐसा व्यक्ति (ए) मानसिक अस्वस्थता; या (बी) नशा; या (सी) उस पर किए गए धोखे के कारण दस्तावेज़ की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जान सकता था।

" झूठे दस्तावेज़ "। इसलिए यह देखा जाना बाकी है कि क्या शिकायतकर्ता का यह दावा कि पहले अभियुक्त द्वारा बिक्री विलेखों का निष्पादन, जो किसी भी तरह से भूमि से जुड़ा नहीं था, शिकायतकर्ता की भूमि पर कब्जा करने के इरादे से दस्तावेजों की जालसाजी करने के बराबर है (और वह खरीदार, गवाह, लेखक और डाक टिकट विक्रेता के रूप में 2 से 5 अभियुक्त, निष्पादन और उक्त बिक्री विलेखों के पंजीकरण में पहले अभियुक्त के साथ मिलीभगत) मामले को पहली श्रेणी के तहत लाएंगे।

16. बिक्री विलेख निष्पादित करने वाले व्यक्ति के बीच एक मौलिक अंतर है जो यह दावा करता है कि दी गई संपत्ति उसकी संपत्ति है।

और मालिक की ओर से विलेख निष्पादित करने के लिए मालिक का प्रतिरूपण करके या मालिक द्वारा अधिकृत या सशक्त होने का झूठा दावा करके एक बिक्री विलेख निष्पादित करने वाला व्यक्ति। जब कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज़ को निष्पादित करता है जो उसे अपनी संपत्ति बताता है, तो दो संभावनाएँ होती हैं। पहला यह है कि वह ईमानदारी से मानता है कि संपत्ति वास्तव में उसकी है। दूसरा यह है कि वह हो सकता है

बेईमानी से या धोखाधड़ी से यह दावा करते हुए कि यह उसका है, भले ही वह

जानता है कि यह उसकी संपत्ति नहीं है। लेकिन "झूठे दस्तावेजों" की पहली श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि किसी दस्तावेज़ को बेईमानी या धोखाधड़ी से बनाया या निष्पादित किया गया हो। एक और आवश्यकता है कि यह इस इरादे से बनाया जाना चाहिए था कि यह विश्वास कराया जाए कि ऐसा दस्तावेज़ किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार द्वारा बनाया गया था या निष्पादित किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था या निष्पादित नहीं किया गया था।

17. जब किसी दस्तावेज़ को किसी संपत्ति का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाता है

जो उसका नहीं है, वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही एम/एस बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वह दावा करता है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है। इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ संपत्ति को व्यक्त करने के लिए) जिसका वह मालिक नहीं है) संहिता की धारा 464 के तहत परिभाषित एक झूठे दस्तावेज का निष्पादन नहीं है। यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है। अगर कोई जालसाजी नहीं है,

तब न तो धारा 467 और न ही संहिता की धारा 471

आकर्षित किया। "

50. मीर नागवी अस्करी बनाम। सी. बी. आई. (2009) 15 एस. सी. सी. 643, वाउचर एक बैंक के कर्मचारियों द्वारा आई. पी. सी. की धारा के अर्थ के भीतर "झूठे दस्तावेज" नहीं माने जाने वाले सह-अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के लिए बेईमानी से बनाए गए थे, क्योंकि वे यह झूठ बोलने के इरादे से नहीं बनाए गए थे कि वाउचर किसी अन्य निकाय द्वारा या उसके अधिकार के तहत बनाए गए थे। पी. सी. की धारा 463 और 464 को आकर्षित करने के लिए आवश्यक तथ्य इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 3 में निम्नानुसार निर्धारित किए गए थेः

" 3. अभियुक्त 1,2,4 और 5 लोक सेवकों के रूप में अपनी क्षमता में, वे आंध्र बैंक की फोर्ट शाखा में काम कर रहे थे। उन पर अपने पद का दुरुपयोग करने और बेईमानी और धोखाधड़ी से काम करने का आरोप लगाया गया था।

जिसके परिणामस्वरूप कहा जाता है कि अभियुक्त 3 द्वारा अनुचित आर्थिक लाभ बैंकर के चेक को जमा करने के माध्यम से प्राप्त किया गया था, बिना उन्हें प्रस्तुत किए या निकासी के लिए भेजे गए थे और इस प्रकार, आंध्र बैंक को धोखा दिया गया और अभियुक्त 3 द्वारा अपने चालू खाते से बेईमानी से पर्याप्त निकासी की अनुमति दी गई। वे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने बैंक के खातों में धोखाधड़ी और गलत प्रविष्टियों के इरादे से झूठे दस्तावेज तैयार किए और उन्हें वास्तविक के रूप में इस्तेमाल किया। उन पर आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है, क्योंकि उन्हें आंध्र बैंक की संपत्ति सौंपी गई है, जिसमें उन्होंने क्रेडिट और डेबिट वाउचर तैयार किए हैं।

अभियुक्त 3 का पक्ष लेना, अभियुक्त 3 के खाते में विभिन्न चेकों की राशि को जमा करने के लिए अधिकृत करना। किसी भी बैंकर के चेक प्राप्त किए।

51. हालाँकि, इस अदालत ने माना कि आई. पी. सी. की धारा 464 नहीं थी।

सी. टी. ई. डी. निम्नानुसार हैः

" 164. एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज या रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा जाता है यदि वह तीन शर्तों में से एक को पूरा करता है जैसा कि पहले देखा गया है और उक्त धारा के तहत प्रदान किया गया है। पहली शर्त यह है कि दस्तावेज़ को यह मानने के इरादे से गलत साबित किया गया है कि ऐसा दस्तावेज़ किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है।

जिसे दस्तावेज़ को गलत साबित करने वाला व्यक्ति जानता है कि वह [2020] 10 एस. सी. आर. नहीं था।

एक दस्तावेज के साथ, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित जो अपनी मानसिक क्षमता के कारण उन दस्तावेजों की सामग्री को नहीं जानता है जो बनाए गए थे अर्थात नशा या मन की अस्वस्थता आदि के कारण। हमारे सामने भी ऐसा नहीं है। इसलिए निर्विवाद रूप से हमारे सामने आरोपी को झूठा दस्तावेज बनाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। 165. इसलिए, हमारी राय में, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अभियुक्त ने एक झूठा दस्तावेज तैयार किया था, जो स्पष्ट रूप से, कानून के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता था।

166. इसके अलावा, जालसाजी का अपराध उसमें उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों के साथ एक झूठा दस्तावेज बनाने से संबंधित है। उक्त खंड नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। " 463. जालसाजी। जो कोई भी झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है,

जनता या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुँचाने का इरादा, या

किसी भी दावे या स्वामित्व का समर्थन करना, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए प्रेरित करना, या किसी स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करना, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है, जालसाजी करता है।

"गलत दस्तावेज़" की परिभाषा "जालसाजी" की परिभाषा का एक हिस्सा है। दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। [विमला (डॉ.) बनाम दिल्ली प्रशासन। [ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1572] तदनुसार, अभियुक्त पर धारा 467 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था जो मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. की जालसाजी से संबंधित है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मूल्यवान प्रतिभूतियाँ, वसीयत, आदि या धारा 471 अर्थात जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना या धारा 477-ए अर्थात खातों का मिथ्याकरण। उक्त अपराधों के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि तदनुसार है। एक
तरफ रख दें "।

52. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भले ही हम दोनों शिकायतों में किए गए सभी कथनों को दरकिनार कर दें (जो स्पष्ट रूप से निम्नलिखित प्रावधानों को आकर्षित करते हैं - दंड संहिता की धारा 191 और 192), और केवल उन डेबिट नोटों पर ध्यान केंद्रित करना था जिनके बारे में कहा जाता है कि

उत्तरदाताओं, यह स्पष्ट है कि डेबिट नोट आई. पी. सी. की धारा 464 के तहत "झूठे दस्तावेज" नहीं थे, क्योंकि वे यह मानने के इरादे से नहीं बनाए गए थे कि वे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकार के तहत बनाए गए थे। चूँकि जालसाजी का यह मूल घटक स्वयं नहीं बनाया गया है, इसलिए आई. पी. सी. के अध्याय XVIII में जिन धाराओं पर भरोसा करने की मांग की गई है, उनमें से किसी को भी इस मामले के तथ्यों में प्रथम दृष्टया आकर्षित नहीं कहा जा सकता है।

53. अब श्री मिश्रा की कुछ अन्य दलीलों से निपटना बाकी है। श्री मिश्रा की प्रस्तुति ने निष्कर्ष को चुनौती दी

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं ने यह शिकायत करने के लिए कि शिकायत अन्य अपराधों का भी खुलासा करती है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कोई कार्यवाही दायर नहीं की और मजिस्ट्रेट को प्रक्रिया जारी करनी चाहिए थी

उसी के लिए, खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं है। क्या उच्च न्यायालय सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्य करता है, यह निर्णय उच्च न्यायालय को करना है, क्योंकि उच्च न्यायालय में निहित विवेकाधिकार का उपयोग मामले के तथ्यों पर किया जाना है। जैसा कि हमने देखा है, इस मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सीआरपीसी की धारा 340 के साथ पठित धारा 195 की तारीख वाली दो शिकायतों को सही ढंग से लागू किया गया था, और फिर उन्हें निजी शिकायतों में परिवर्तित करने की मांग की गई थी, जिससे एक गोल भूमिका में एक चौकोर खूंटी फिट करने का प्रयास किया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में और अपील के तहत उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा इसे सही ढंग से बाधित किया गया है।

जिस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1) (बी) (ii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वह उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में दिया गया निष्कर्ष है। जो असाधारण है। इस कारण से भी, सुरजीत सिंह (ऊपर) पर आधारित गलत निर्भरता वर्तमान मामले में अपीलार्थियों को लाभ नहीं पहुंचाएगी।

55. श्री मिश्रा ने तब राम धन बनाम पर भरोसा किया। उत्तर प्रदेश राज्य और (2012) 5 एस. सी. सी. 536। इस मामले में, मामले का वास्तविक अनुपात पैराग्राफ 6 से 8 में 1 हो सकता है, जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 6. हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। जाँच के बाद, आरोप

याचिकाकर्ता और अन्य के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 177,181,182 और 195 के तहत याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने भौतिक तथ्य को दबा दिया है और इस याचिका में कहीं भी यह खुलासा नहीं किया है कि उसने आरोप पत्र को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसे दिनांक 3-2-2010 [राम धन बनाम. यू. पी. राज्य, के तहत आवेदन

2010 की धारा 482 सं. 3310, दिनांकित 3-2-2010 (सभी) और उक्त आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है क्योंकि किसी को भी चुनौती नहीं दी गई है।

आगे। इस प्रकार, वह उस भौतिक तथ्य को दबाने का दोषी है जो याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज करने के लिए उत्तरदायी बनाता है। 7. हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता के लिए यह आवश्यक था कि

इस तरह के एक प्रासंगिक तथ्य का खुलासा करें। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय के दिनांक 3-2-2010 के उक्त आदेश का संदर्भ दिया है। हम आरोप पत्र के साथ-साथ उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश की जांच करने और यह पता लगाने के अवसर से वंचित थे कि क्या याचिकाकर्ता की शिकायत इस संबंध में है। उस याचिका में धारा 340 सी. आर. पी. सी. के साथ पठित धारा 195 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का मुद्दा उठाया गया था और इस बारे में कि क्या ऐसी याचिका नहीं ली गई है, क्या याचिकाकर्ता हो सकता है

" 9. जो भी हो, आई. पी. सी. की धारा 177,181,182,195 और 420 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है। आई. पी. सी. की धारा 177 गलत जानकारी देने के अपराध से संबंधित है। धारा 181 आई. पी. सी. शपथ पर झूठे बयान से संबंधित है। आई. पी. सी. की धारा 182 लोक सेवक को अपने मैसर्स बांदेकर ब्रदर्स पी. वी. टी. का उपयोग करने के इरादे से गलत जानकारी देने से संबंधित है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने की वैधानिक शक्ति। आई. पी. सी. की धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध की दोषसिद्धि प्राप्त करने के इरादे से झूठे साक्ष्य देने या गढ़ने से संबंधित है।

10. कम से कम धारा 177 और 182 के प्रावधान पूरी तरह से अदालत के बाहर के मामलों से संबंधित हैं। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और 340 के प्रावधानों को आकर्षित करने का सवाल ही नहीं उठता है। आई. पी. सी. की धारा 195 झूठे साक्ष्य के निर्माण को दंडनीय बनाती है। यह आवश्यक नहीं है कि झूठे साक्ष्य का निर्माण केवल अदालत के अंदर ही हो क्योंकि इसे अदालत के बाहर भी गढ़ा जा सकता है, हालांकि अदालत में इसका उपयोग किया गया है। इसलिए, यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के प्रावधानों को भी आकर्षित नहीं कर सकता है। (सच्चिदानंद देखें।

सिंह बनाम। बिहार राज्य [(1998) 2 एस. सी. सी. 493]

11. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील श्री अशोक कुमार शर्मा ने अब्दुल रहमान बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया है। के. एम. अनीस-उल-हक [(2011) 10 एससीसी 696]। हालाँकि, यह उस फैसले से स्पष्ट है जिस पर भरोसा किया गया था

कि सच्चिदानंद सिंह, जो एक बड़ी पीठ का है, में निर्णय न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। (बालासुब्रमण्यम बनाम भी देखें। राज्य [(2002) 7 एससीसी 649])

12. याचिकाकर्ता भौतिक तथ्य को दबाने का दोषी है। मान लीजिए, अदालत के समक्ष लगातार याचिकाएं दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस प्रकार, हम इस मुद्दे की आगे जांच करने के इच्छुक नहीं हैं। 13.
अपराधों की समग्र प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं देखते हैं। द.

याचिका में योग्यता का अभाव है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

57. इस मामले से इस अनुपात को निकालना असंभव है कि जहां तक आई. पी. सी. की धारा 195 के तहत अपराध का संबंध है, धारा के प्रावधान

195 सी. आर. पी. सी. आकर्षित नहीं होगी। अदालत का मन दमन पर था

भौतिक तथ्यों के संबंध में, जिनके परिणामस्वरूप, पैराग्राफ 10 में दिया गया बयान देने के बाद, न्यायालय ने पैराग्राफ 12 में कहा कि वे भौतिक तथ्यों के दमन और न्यायालय के समक्ष लगातार याचिकाएं दायर करने के मद्देनजर इस मुद्दे की आगे जांच करने के लिए इच्छुक नहीं थे, जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आज के फैसले में विस्तृत चर्चा को देखते हुए, सभी संबंधित अधिकारियों पर विचार करने के बाद, संदर्भ से बाहर फेंका गया एक वाक्य संभवतः अपीलार्थी का लाभ नहीं उठा सकता है।

इसलिए यह निर्णय भी मामले को आगे नहीं ले जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

58. श्री मिश्रा ने एक वैकल्पिक तर्क के रूप में कहा कि मजिस्ट्रेट या अदालत के लिए एक बार अनियमितता को माफ करने के लिए हमेशा खुला है। मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (ए) के तहत गलत तरीके से भी अधिकार क्षेत्र ग्रहण करता है, और इस उद्देश्य के लिए, उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 460 (ई) का उल्लेख किया। यह प्रावधान केवल तभी आकर्षित होता है जब कोई मजिस्ट्रेट, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) के खंड (ए) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए कानून द्वारा "सशक्त नहीं" है, इस तरह का संज्ञान गलत तरीके से लेता है, लेकिन सद्भावना से लेता है। जिस "सशक्तिकरण" की बात की गई है, वह शिकायत के साथ आगे बढ़ने के लिए मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र है। सी. आर. पी. सी. की धारा 460 उन मामलों में लागू नहीं हो सकती और न ही होती है जिनमें सी. आर. पी. सी. की धारा 195 शामिल है।

इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 का एक अपवाद है, और इसमें उल्लिखित अपराधों का संज्ञान लेने के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध है, जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 में पालन की गई कवायद का पालन नहीं किया जाता है। सशक्तिकरण "स्पष्ट रूप से संज्ञान लेने के लिए एक वैधानिक प्रतिबंध की प्रकृति में एक अनिवार्य प्रावधान का उल्लेख नहीं करता है। इस तर्क में भी खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं हैं, और इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है। इसी प्रकार यह भी तर्क कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है, जो तब आई. पी. सी. की "जालसाजी" धाराओं के आधार पर आरोप तय कर सकते हैं-हमने माना है कि समग्र रूप से पढ़ी जाने वाली शिकायतें आई. पी. सी. की धारा 463 और 464 के तहत मामला नहीं बनाती हैं, बल्कि इन कारणों से भी 191 और 192 के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से आकर्षित करती हैं, इस प्रस्तुति को अस्वीकार करने की आवश्यकता है।

59. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक 13.10.2011 के आदेश द्वारा दोनों शिकायतों को परिवर्तित कर दिया। निजी शिकायतों को दर्ज करना और फिर आई. पी. सी. की धारा 191,192 और 193 के तहत प्रक्रिया जारी करना। इस निर्णय को विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांकित 05.03.2013 के निर्णय में संशोधन में दरकिनार कर दिया गया है, जिसमें विद्वत न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया हैः

" आदेश पुनरीक्षण याचिकाओं की अनुमति है। याचिकाकर्ताओं/मूल अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने के विवादित आदेश हैंः

रद्द कर दिया और सेटसाइड।

आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 17/2012,18/2012 और 20/2012 में याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध से मुक्त कर दिया गया है और आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 16/2012 A. और 19/2012 में याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों को मेसर्स बांदेकर ब्रदर्स PVT से मुक्त कर दिया गया है।

लिमिटेड। & ए. एन. आर वी. प्रसाद वासुदेव केनी [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के साथ पठित धारा 193 के तहत दंडनीय अपराध और इसके द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। शिकायत 81/पी/09 और 82/पी/09 दोनों को खारिज कर दिया गया है।

60. इस आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं को विवादित फैसले द्वारा खारिज कर दिया गया है। हमें ऐसा लगता है कि बच्चा और नहाने का पानी दोनों को एक साथ बाहर फेंक दिया गया है। हालांकि यह कहना सही है कि एक निजी शिकायत पर धर्मांतरण और उसके बाद प्रक्रिया जारी करने का आदेश सही नहीं हो सकता है, फिर भी मूल रूप से दायर की गई दो शिकायतों को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार मजिस्ट्रेट का आदेश निर्धारित हो गया था इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को मूल शिकायतों को निजी शिकायतों में परिवर्तित करने से पहले पक्षों को पद से हटा देना चाहिए था। चूंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए हम पाते हैं कि श्री मिश्रा का यह कहना सही है कि भले ही आई. पी. सी. की धारा 191 और 192 के तहत कथित रूप से गंभीर अपराध किए गए हैं, फिर भी शिकायतों को अब रद्द कर दिया गया है। इसलिए, हम दोनों शिकायतों को उनके मूल रूप में बहाल करते हैं ताकि उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 और 340 के अभ्यास के बाद आगे बढ़ाया जा सके।

61. दाखिल की गई अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपीलों

का निपटारा किया गया।